समेकित जिला योजना

के निर्माण के संबंध में

स्थानीय स्वशासन की ईकाइयों के जनप्रतिनिधियों

के क्षमता विकास के लिये

प्रशिक्षण मार्गदर्शिका

समेकित जिला योजना

के निर्माण के संबंध में

स्थानीय स्वशासन की ईकाइयों के

जनप्रतिनिधियों

के क्षमता विकास के लिये

प्रशिक्षण मार्गदर्शिका

सहस्त्राब्दी विकास के प्रमुख लक्ष्य

आठ विषयों से संबंधित ऐसे लक्ष्य जिन्हे संयुक्त राष्ट्र संघ में हुयी सहमति के आधार पर दुनिया के विभिन्न देश पाने के लिये प्रयास कर रहे हैं। इन लक्ष्यों को प्राप्त करके मानव विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की जा सकती है।

लक्ष्य 1: अत्यधिक गरीबी और भूखमरी को समाप्त करना,

लक्ष्य 2: सभी को प्राथमिक शिक्षा दिलाना,

लक्ष्य 3: लैंगिक समानता और महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देना,

लक्ष्य 4: बाल मृत्यु दर को कम करना,

लक्ष्य 5: मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ावा देना,

लक्ष्य 6: एच.आई0वी0/एड्स, मलेरिया जैसी बिमारियों से लड़ना,

लक्ष्य 7: पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करना,

लक्ष्य 8: विकास के लिये वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना

प्राक्कथन

लोकतंत्र में जन सामान्य का स्थान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में यदि विकास की योजनाओं को भी लोगों के द्वारा ही बनाया जाय तो यह लोकतंत्र की सबसे अच्छी स्थिति साबित होगी। लोकतंत्र के इन्हीं सिद्धान्तों को ध्यान में रखकर संविधान में संशोधन करके और नियमों और कानूनों में बदलाव लाकर विकेन्द्रीकृत व्यवस्था को बढ़ाने के लिये अनेक प्रयास किये जा रहे हैं।

मध्यप्रदेश देश के उन राज्यों में से है जिन्होंने विकेन्द्रीकृत शासन व्यवस्था को साकार करने की दिशा में पहल की है। 'ग्राम स्वराज' के सपने को साकार करने के लिये राज्य सरकार के द्वारा 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों के बाद से ही अनेक प्रयास लगातार किये जा रहे हैं। इन प्रयासों से राज्य में विकेन्द्रीकृत शासन व्यवस्था को बढ़ावा भी मिला है। मध्यप्रदेश सरकार के इन प्रयासों से देश के अन्य राज्यों के लिये नई सीखों के कई अवसर भी मिले हैं।

मध्यप्रदेश में विकेन्द्रीकृत आयोजना संबंधी सरकार के प्रयासों को आगे बढ़ाने की दिशा में राज्य योजना आयोग ने भी अपनी ठोस भूमिका निभायी है। पिछले कुछ वर्षों से राज्य योजना आयोग द्वारा राज्य के सभी जिलों में चरणबद्ध विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिये जिला योजना समितियों द्वारा जिला योजनाओं को बनाने का काम शुरू किया गया है। यद्यपि इस काम में कुछ दिक्कतें तो आयी, किन्तु अब इसके अच्छे परिणाम भी सामने आने लगे हैं। राज्य में जिले के स्तर पर अब जिलों की योजनाओं को समय पर बनाने का काम किया जाने लगा है।

यूनीसेफ–मध्यप्रदेश के द्वारा मध्यप्रदेश राज्य योजना आयोग को संविधान की मंशा के अनुरूप जिले स्तर पर एकीकृत जिला योजनाओं को

बनवाने के लिये किये जा रहे प्रयासों में तकनीकी सहयोग देने के लिये एक परियोजना चलाई जा रही है। परियोजना का उद्देश्य यह है कि पूरे राज्य में विकेन्द्रीकृत आयोजना के आधार पर एकीकृत जिला योजना बनाने के काम में लगे सभी हितधारकों को जिला योजना के महत्व और इसको बनाने के काम की पूरी जानकारी मिल सके।

इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर यूनीसेफ–मध्यप्रदेश ने 'प्रिया, नई दिल्ली' के सहयोग से जिला योजना तैयार करने के काम से जुड़े विभिन्न हितधारकों के क्षमता विकास के लिये प्रशिक्षण मार्गदर्शिकाओं की एक श्रृखंला प्रकाशित की है।

मैं आशा करता हूँ कि सभी प्रशिक्षण मार्गदर्शिका अपने–अपने उद्देश्यों को पूरा करने के साथ ही मध्यप्रदेश में जिले स्तर पर एकीकृत जिला योजनाओं को बनवाने में सहायक होंगी।

मंगेश त्यागी

सलाहकार, योजना आयोग

विषय क्रम

क्रम	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
1	सहस्त्राब्दी विकास के प्रमुख लक्ष्य	2
2	प्राक्कथन	3
3	भूमिका	6
4	प्रशिक्षकों हेतु कुछ खास बातें	7
5	सत्र संचालन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य	9
6	जिला योजना निर्माण के संबंध में स्थानीय स्वशासन की ईकाइयों के जनप्रतिनिधियों के क्षमता वर्धन कार्यक्रम की प्रस्तावित रूपरेखा	10
7	सत्र–संचालन विवरण	11
8	if'k{k.k lkexh ¼iapk;rh jkt lLFkkvksa ds lnL;ksa ds fy;½	22
8.1	स्थानीय विकास का विश्लेषण	23
8.2	मध्य प्रदेश में ग्रामीण नियोजन की संरचना	27
8.3	कार्यों को पूरा करने के लिये आवश्यक सहयोग और उनकी पूर्ति	35
8.4	योजनाओं को बनाने के दौरान लोगों की सहभागिता को बढ़ाना	38
8.5	योजनाओं को बनाने के लिये बैठकों का आयोजन और प्रबंधन	41
8.6	सामाजिक समावेशन में जन प्रतिनिधियों की भूमिका	44
9	if'k{k.k lkexh ¼LFkkuh; uxjh; fudk;ksa ds lnL;ksa ds fy;½	47
9.1	स्थानीय विकास का विश्लेषण	48
9.2	मध्य प्रदेश में शहरी नियोजन की संरचना	52
9.3	कार्यों को पूरा करने के लिये आवश्यक सहयोग और उनकी पूर्ति	60
9.4	योजनाओं को बनाने के दौरान लोगों की सहभागिता को बढ़ाना	62
9.5	योजनाओं को बनाने के लिये बैठकों का आयोजन और प्रबंधन	66
9.6	सामाजिक समावेशन में जन प्रतिनिधियों की भूमिका	69
10	विषय से संबंधित अतिरिक्त संदर्भ सामग्री	72
11	प्रशिक्षण के बाद बनी सीख को जानने का प्रपत्र	84
12	संलग्नक	87
13	संदर्भ ग्रन्थ	89

भूमिका

संविधान की धारा 243 य घ के अनुसार देश के सभी राज्यों में जिले के स्तर पर जिले की सभी पंचायतों और नगरपालिकाओं के द्वारा तैयार की गई योजनाओं को एक साथ जोड़ कर पूरे जिले के लिये एक विकास योजना प्रारूप तैयार करने के लिये एक जिला योजना समिति के गठन करने का प्रावधान किया गया है। संविधान की इस धारा के आधार पर देश के अधिकांश राज्यों में जिला योजना समितियों के गठन करने का प्रयास किया गया है। जिला योजना समितियों के अध्यक्षों से यह उम्मीद भी की गयी है कि उनके द्वारा जिला योजना समिति की स्वीकृति से तैयार जिला विकास योजना के प्रारूप को राज्य सरकार को भेजा जायेगा। राज्य सरकार को जिला विकास योजना के प्रारूप को भेजे जाने के पीछे महत्वपूर्ण वजह यह है कि जिले की विकास योजनायें राज्य के आगामी वर्ष के विकास योजना का आधार बन सकें।

11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–2012) के दस्तावेज में 'समावेशी विकास' पर जोर दिया गया है। समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में स्थानीय स्वशासन की इकाईयों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। संविधान के अनुसार जिला योजना समितियॉ जिले की विकास योजना प्रारूप तैयार करने में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेंगी –

(अ) पंचायतों और नगरपालिकाओं के सामान्य हित के विषय, जिनके अंतर्गत स्थानिक योजना, जल तथा अन्य भौतिक और प्राकृतिक संसाधनों में हिस्सा बंटाना, अवसंरचना का एकीकृत विकास और पर्यावरण संरक्षण है,
(ब) उपलब्ध वित्तीय या अन्य संसाधनों की मात्रा और प्रकार,

संविधान के अनुसार इस कार्य के लिये जिला योजना समितियॉ राज्यपाल के परामर्श के अनुसार तकनीकी रूप से दक्ष संस्थाओं और संगठनों की सहायता ले सकती हैं।

यहॉ ध्यान देने की बात यह है कि जिला योजना समितियों के द्वारा जिले की विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिये जिले की सभी पंचायतों और नगरपालिकाओं के द्वारा तैयार की गई योजनाओं का अध्ययन करने और उनके समेकन करने का कार्य किया जाना है। ऐसे में कुछ प्रमुख बातें जिन पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है वो निम्नवत् हैं –

- स्थानीय स्तर पर सभी स्थानीय स्वशासन की इकाईयों (पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय नगरीय निकायों) के द्वारा योजनाओं का नियमित और समयबद्ध तरीके से निर्माण किया जाय।
- स्थानीय स्तर (पंचायतों और स्थानीय नगरीय निकाय) पर बनाई जाने वाली योजनाओं को 'किये जाने योग्य' और 'वास्तविक आवश्यकताओं' के आधार पर बनाया जाय।
- योजनाओं को बनाने का काम समाज के सभी लोगों को लेकर किया जाय जिससे विकास का लाभ समाज के सभी वर्ग के लोगों को मिल सके।

इस आधार पर स्थानीय स्वशासन की इकाईयों और उनके चयनित जनप्रतिनिधियों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी आधार पर स्थानीय स्वशासन की इकाई के चयनित जनप्रतिनिधियों को निरन्तर इस बात का ध्यान देना चाहिये कि उनकी इकाई के द्वारा स्थानीय स्तर की योजनाओं को नियमित और समयबद्ध तरीके से बनाया जाय। स्थानीय स्तर की योजनाओं को बनाने के दौरान उन्हें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिये कि योजनायें वास्तविक आवश्यकताओं पर आधारित हों। अन्य बातों के साथ एक और बात जो बहुत महत्व की है वह यह है कि जनप्रतिनिधियों को चाहिये कि उनके क्षेत्र (वार्ड) के ज्यादा से ज्यादा लोग योजना बनाने की प्रक्रिया में शामिल हों। इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों की आवश्यकताओं को समझने में मदद मिलेगी और योजनाओं को बनाने और लागू करने से समाज के कमजोर और पिछड़े वर्ग के लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सकेगा।

इस पुस्तिका का निर्माण समेकित जिला योजना के निर्माण के दौरान स्थानीय स्वशासन की इकाईयों के जनप्रतिनिधियों की इन्हीं विषयों पर क्षमता विकास को ध्यान में रखकर किया गया है। स्थानीय स्वशासन की इकाईयों के चयनित जनप्रतिनिधियों के साथ–साथ यह पुस्तिका जिला आयोजन से जुड़े अन्य लोगों जैसे त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नगरीय निकायों के चुने हुए प्रतिनिधि, जिला योजना समिति के सदस्य, नियोजन से जुड़े विभिन्न विभागों, निगमों एवं नियोजन ईकाईयों के अधिकारी एवं कर्मचारी, जिला नियोजन के लिए गठित नियोजन दल एवं तकनीकी सहायता दल के सदस्य, ग्राम सभा, वार्ड सभा, क्षेत्र सभा/मोहल्ला समिति स्तर पर नियोजन दल के सदस्य, नियोजन से जुड़े स्वैच्छिक कार्यकर्ता/संगठन के लोग, नियोजन से जुड़े विभिन्न विषय विशेषज्ञ एवं प्रशिक्षण दल के सदस्यों इत्यादि के द्वारा भी उपयोग में लायी जा सकती है।

प्रशिक्षकों हेतु कुछ खास बातें

इस मान्यता के साथ कि प्रशिक्षक के रूप में तैयार हो रहे सभी प्रशिक्षणार्थी खुले विचारों के साथ सहभागिता को बढ़ाने में विश्वास रखते हैं, भविष्य में मिश्रित समूह में प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षकों से कुछ अपेक्षायें की जातीं हैं। इनमें से कुछ आवश्यक अपेक्षायें निम्नलिखित हैं –

- ✓ प्रशिक्षकों के द्वारा सभी सभी विषयों पर प्रतिभागियों के ज्ञान, कौशल एवं क्षमता को ध्यान में रखते हुये चर्चा करायी जाये।
- ✓ प्रशिक्षकों के द्वारा प्रशिक्षण में पारस्परिक सहभागिता का अनुसरण किया जाये और उनके द्वारा सभी प्रतिभागियों को बोलने एवं अपने विचार रखने का अवसर दिया जाये।
- ✓ प्रशिक्षकों के द्वारा विषयों पर गुणात्मक चर्चा को प्रेरित करने के साथ ही साथ समूह कार्यों को निधारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाये।
- ✓ प्रशिक्षकों के द्वारा समूह कार्य के दैरान समूहों को दिये गये कार्यों का स्पष्ट करने में प्रतिभागियों की मदद की जाये।

मार्गदर्शिका के प्रयोग की विधि

इस प्रशिक्षण मार्गदर्शिका के आरम्भ में प्रशिक्षण से जुड़े विभिन्न विषयों को सत्रों में बॉट कर उनका सत्रवार विवरण दिया गया है। दो दिन के प्रशिक्षण को ध्यान में रखकर तैयार की गयी इस मार्गदर्शिका में कुल छः सत्र हैं। इनमें से चार तकनीकी सत्र हैं जिनके माध्यम से स्थानीय स्वशासन की ईकाइयों के जनप्रतिनिधियों को जिला योजना के निर्माण के संबंध में उनके ज्ञान को बढ़ाने और उनकी भूमिका पर समझ बनाने से संबंधित मुद्दों को शामिल किया गया है।

सत्र संचालन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य

प्रशिक्षकों के द्वारा प्रशिक्षण के विभिन्न सत्रों के संचालन के दौरान प्रशिक्षण से जुडे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर ध्यान दिये जाने के लिये इस मार्गदर्शिका में विशेष प्रयास किया गया है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य निम्नलिखित हैं –

सत्र का शीर्षकः प्रत्येक सत्र के आरम्भ में सत्र का शीर्षक दिया गया है। यह सत्र के मुख्य विषय वस्तु की पहचान कराता है।

सत्र की अवधिः सत्र के शीर्षक के साथ ही सत्र की अवधि भी मार्गदर्शिका में दी गयी है। इससे प्रशिक्षण के दौरान सत्र को व्यवस्थित तरीके से चलाने में मदद मिलेगी। यद्यपि सत्र की अवधि में विषय पर होने वाली चर्चा की गंभीरता और संभागियों में बनने वाली सीख के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

सत्र का उद्देश्यः प्रत्येक सत्र के साथ उसके उद्देश्यों को भी मार्गदर्शिका में स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। इससे प्रशिक्षकों के साथ ही संभागियों में भी इस बात की स्वष्टता हो सकेगी कि उनके द्वारा सत्र में किन उद्देश्यों को ध्यान में रख कर चर्चा करायी जा रही है।

प्रशिक्षण सामग्रीः प्रशिक्षण के विभिन्न सत्रों के दौरान उपयोग की जाने प्रशिक्षण सामग्री के बारे में जानकारी इस शीर्षक के अन्तर्गत दी गयी है। इनमें भी प्रशिक्षक या संदर्भ व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है।

सत्र–संचालन विधिः इसमें विभिन्न सत्रों को सहभागी प्रशिक्षण के आधार पर संचालित करने हेतु प्रशिक्षक द्वारा अपनाई गयी प्रशिक्षण पद्धतियों के बारे में बताया गया है। प्रशिक्षण की विभिन्न पद्धतियों में व्याख्यान, बडे समूह में खुली चर्चा, केस स्टडी, छोटे समूह में चर्चा, ब्रेन स्टार्मिंग को शामिल किया गया है।

जिला योजना निर्माण के संबंध में स्थानीय स्वशासन की ईकाइयों के जनप्रतिनिधियों के क्षमता वर्धन का दो दिवसीय कार्यक्रम

कार्यक्रम की प्रस्तावित रूपरेखा

पहला दिन

अवधि	विषय वस्तु	प्रशिक्षण सामग्री	पद्धति
पहला सत्र 9.30 से 10.30	स्वागत, परिचय, कार्यक्रम का उद्देश्य, कार्यक्रम की रूपरेखा	चार्ट पेपर, मार्कर,	संभागियों के द्वारा दुगड्डे, तिगड्डे में
दूसरा सत्र 10.30 1.30	स्थानीय परिस्थितियों का विश्लेषण	चार्ट पेपर, मार्कर, एल.सी.डी. और स्क्रीन	व्याख्यान, समूह चर्चा
1.30 से 2.00	भोजनावकाश		
तीसरा सत्र 2.00 से 5.50	समस्याओं की पहचान और उनका प्राथमिकीकरण	चार्ट पेपर, मार्कर, एल.सी.डी. और स्क्रीन	व्याख्यान, समूह चर्चा

दूसरा दिन

अवधि	विषय वस्तु	प्रशिक्षण सामग्री	पद्धति
9.30 से 10.00	पहले दिन का पुनरावलोकन और संभागियों के विचार	चार्ट पेपर, मार्कर	संभागियों के द्वारा
चौथा सत्र 10.00 से 1.45	कार्यों को पूरा करने के लिये आवश्यक सहयोग ओर उनकी पूर्ति	चार्ट पेपर, मार्कर, एल.सी.डी. और स्क्रीन	व्याख्यान, समूह चर्चा
1.45 से 2.15	भोजनावकाश		
पांचवां सत्र 2.15 से 4.00	भविष्य की कार्य योजना	चार्ट पेपर, मार्कर, एल.सी.डी. और स्क्रीन	व्याख्यान, समूह कार्य, डीब्रिफिंग
छठां सत्र 4.00 से 5.00	कार्यक्रम पर संभागियों की राय, समापन और धन्यवाद ज्ञापन	फीड बैक फार्म, चार्ट पेपर, मार्कर,	फीड बैक प्रपत्र, मूडोमीटर

सत्र–संचालन विवरण

पहला सत्र

विषयः स्वागत, परिचय, कार्यक्रम का उद्देश्य, कार्यक्रम की रूपरेखा।

अवधि – 1 घंटा।

सत्र का उद्देश्य

- आपसी परिचय से कार्यक्रम में उपस्थित संभागियों को व्यवस्थित करना।
- कार्यक्रम में उपस्थित सभी संभागियों को एक–दूसरे के साथ सौहाद्रपूर्ण वातावरण में विचार–विमर्श करने के लिये प्रेरित करना।
- कार्यक्रम के उद्देश्य व रूपरेखा की जानकारी देकर संभागियों को विभिन्न सत्रों में अपने विचार रखने के लिये तैयार करना।

प्रशिक्षण सामग्री – चार्ट पेपर, मार्कर।

सत्र संचालन की विधि – सत्र का संचालन प्रशिक्षक दल के सदस्यों द्वारा किया जायेगा। सत्र के आरम्भ में प्रशिक्षक दल द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित सभी संभागियों का स्वागत किया जायेगा। संभागियों के स्वागत के बाद प्रशिक्षक दल के द्वारा संभागियों को अपना परिचय देने के लिये कहा जायेगा। इसके लिये संभागियों को दो–दो या तीन–तीन के समूहों में बॉटा जा सकता है। ये समूह किसी चित्र के बिखरे टुकडों को जोड़ कर, वर्ण माला के अक्षरों ('क' नाम के सभी लोगों का एक समूह), जन्म के महीनों (जनवरी माह में पैदा हुये लोगों का एक समूह) या दिवसों (किसी भी महिने में 1 से 5 तारीख के बीच पैदा हुये लोगों का एक समूह) इत्यादि के आधार पर बनाये जा सकते हैं। समूहों को आपस में चर्चा करके परिचय प्राप्त करने के लिये 10 से 15 मिनट का समय दिया जाना चाहिये।

संभागियों के द्वारा एक–दूसरे का परिचय प्राप्त कर लेने के बाद प्रशिक्षक दल के द्वारा उन्हें कार्यक्रम के उद्देश्यों के बारे में बताया जायेगा। इसी समय प्रशिक्षक दल के सदस्य संभागियों को कार्यक्रम की प्रस्तावित रूपरेखा के बारे में भी बतायेंगे।

प्रशिक्षक के लिये विशेष बात

- परिचय के दौरान सभी सहभागियों को खुलने और बोलने के लिये प्रेरित करें। ध्यान रखें कि यदि कोई सहभागी संकोच कर रहा हो तो उस पर ज्यादा दबाव भी न डालें।
- कार्यक्रम की प्रस्तावित रूपरेखा और उसके उद्देश्यों को बताते समय लोगों को यह एहसास करायें की योजना निर्माण का काम क्यों बहुत जरूरी है और इसे करते समय किस प्रकार की जानकारियों का होना बहुत आवश्यक है।
- जानकारी देते समय भाषा शैली इस प्रकार कि हो कि सभी लोग इसे आसानी से समझ सकें।

दूसरा सत्र

विषयः विकास के संबंध में स्थानीय परिस्थितियों का विश्लेषण।

अवधि – 3 घंटे।

सत्र का उद्देश्य –

- प्रशिक्षण में शामिल लोग उन समस्याओं को पहचानने का प्रयास करेंगे जिनके कारण उनका क्षेत्र विकास नहीं कर पा रहा है।
- प्रशिक्षण में उपस्थित सभी लोगों की 'विकास के सही मायने जान सकेंगे।
- सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों को जानने के बाद संभागी उन लक्ष्यों की तुलना में अपने क्षेत्र की स्थिति के बारे में समझ बना सकेंगे।
- प्रशिक्षण में उपस्थिति लोग जिला आयोजना के बारे में समझ सकेगे।
- उनमें विकेन्द्रीकृत व्यवस्था के अन्तर्गत एकीकृत जिला योजना को तैयार करने के महत्व के बारे में समझ बनेगी।
- उनमें एकीकृत जिला आयोजना के निर्माण के विभिन्न चरणों के बारे में विस्तृत जानकारी मिल सकेगी।

प्रशिक्षण सामग्री – चार्ट पेपर, मार्कर, एल.सी.डी. और स्क्रीन।

सत्र संचालन की विधि – प्रशिक्षक दल के सदस्यों के द्वारा संभागियों में विषय के प्रति उत्सुकता को बढ़ाने के लिये उनसे 'विकास' के संबंध में उनके विचार जानते हुये चर्चा की शुरूआत की जा सकती है (ब्रेनस्टार्मिंग पद्धति)। इसके बाद संभागियों से अपने क्षेत्र के विकास के संबंध में विश्लेषण करने को कहा जाय। उन्हें इस बात के लिये प्रेरित किया जाय कि अपने क्षेत्र के विकास के काम मे आने वाली दिक्कतों को लोग समझ सकें। संभागियों के विचार जानने के बाद प्रशिक्षक के द्वारा 'विकास' की एक विस्तृत परिकल्पना देते हुये उसकी परिभाषा दी जा सकती है।

इसके बाद प्रशिक्षक दल के सदस्यों के द्वारा सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य के बिन्दुओं और उनसे संबंधित सूचकांकों पर चर्चा की जानी चाहिये। इसी संदर्भ में यदि प्रशिक्षक दल के द्वारा संभागियों को राज्य के तय लक्ष्यों और वर्तमान स्थिति तथा जिले की वर्तमान स्थिति के ऑकडों

की जानकारी पॉवर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण के माध्यम से दी जाय तो संभागियों में विषय के प्रति उत्सुकता और बढ़ेगी तथा उनके द्वारा ऑकड़ों को इकट्ठा करने और उस आधार पर विकास के विभिन्न पहलुओं को समझने के प्रति जागरूकता बढ़ेगी।

प्रशिक्षक के लिये विशेष बात

- स्थानीय विकास के बेहतर विश्लेषण के लिये शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली, सड़क और पानी जैसे विषयों पर जानकारी लेकर चर्चा का आरम्भ करें।
- प्रशिक्षक के द्वारा विकास के सही मायने को लोगों को सामने रखने के संबंध में यदि कोई पोस्टर, फिल्म, साहित्य हो तो उसका प्रयोग किया जा सकता है।
- सत्र के बेहतर संचालन के लिये मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम को अच्छी तरह पढें और समझें। इस संबंध में उपलब्ध संसाधन किट और विभिन्न पुस्तकों का भी अध्ययन करना उपयोगी होगा।
- सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों के बारे में गहन जानकारी प्राप्त करने के बाद उस पर भी नोट्स तैयार कर लेना बेहतर होगा। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों के संबंध में राज्य की नीतियों की जानकारी का होना प्रशिक्षकों के लिये बेहतर स्थिति होगी।
- बेहतर होगा कि प्रशिक्षक सत्र के विभिन्न विषयों पर समय का ध्यान रखते हुए पहले से ही कुछ नोट्स तैयार कर लें।
- यदि कुछ लोग जिला योजना निर्माण से संबंधित कार्यक्रम में पहली बार जुड़ रहें हैं तो उनके लिये यह विषय जटिल हो सकता है। अतः प्रशिक्षक अपनी बातों को धैर्य के साथ सरल शब्दों में रखने का प्रयास करें।
- छोटे समूह में चर्चा को बेहतर तरीके से कराने के लिये प्रत्येक समूह में से ही कुछ व्यक्तियों को जिम्मेदारी सौंपने से लोगों के आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

तीसरा सत्र

विषयः समस्याओं की पहचान और उनका प्राथमिकीकरण।

अवधि – 3 घंटे 30 मिनट।

सत्र का उद्देश्य –

- संभागियों में जिला आयोजना और स्थानीय आयोजना के महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में जानकारी मिल सकेगी।
- संभागियों में जिले और स्थानीय क्षेत्र से जुडे मजबूत ओर कमजोर पहलुओं के बारे में जानकारी बढ़ेगी।
- संभागियों में अपने क्षेत्र के विकास से संबंधित विभिन्न अवसरों और चुनौतियों को पहचानने की समझ बढ़ेगी।

प्रशिक्षण सामग्री – चार्ट पेपर, मार्कर, एल.सी.डी. और स्क्रीन।

जिला योजना निर्माण के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र

जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कार्यालय से प्राप्त पत्र के आधार पर जब ग्राम पंचायत पौरही में जिला योजना बनाने के संबंध में चर्चा शुरू हुई तो लोगों को यह समझ नहीं आ रहा था कि अन्य योजनाओं के निर्माण की तुलना में जिला योजना निर्माण में क्या अंतर है? ऐसे में एक सवाल यह भी आया कि ग्राम पंचायत में जिला योजना बनाने का कार्य कहॉ से शुरू किया जाय? लम्बी चर्चा के बाद पंचायत के लोगों ने यह निर्णय लिया कि इस संबंध में जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से चर्चा की जाय।

जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने चर्चा के दौरान पंचायत के लोगों को जिला योजना के महत्व को बताते हुये उसको तैयार करने के संबंध में कुछ सूत्र भी बताये।

सत्र संचालन की विधि – इस सत्र में प्रशिक्षक दल/ संदर्भ व्यक्ति के द्वारा जिला स्तरीय आयोजना से जुड़े महत्वपूर्ण सूत्रों की जानकारी दी जायेगी। इन सूत्रों के आधार पर संभागियों में विकास से जुडे लक्ष्यों को पहचानने, उनका प्राथमिकीकरण करने, उनसे संबंधित संसाधनों को पहचानने, संसाधनों को एकत्र करने के लिये आवश्यक नेटवर्क तैयार करने जैसे विषयों पर क्षमता बढ़ाने का प्रयास किया जायेगा।

सत्र के दौरान प्रशिक्षक दल/ संदर्भ व्यक्ति के द्वारा ऐसे सकारात्मक और जमीनी उदाहरणों को भी संभागियों के साथ बॉटने का प्रयास किया जायेगा जिससे संभागियों में यह दृढ़ता लायी जा सके कि सही योजनाओं के निर्माण से सामाजिक समानता को बढ़ाया जा सकता है।

प्रशिक्षक के लिये विशेष बात

- एकीकृत जिला योजना और उसके निर्माण के संबंध में योजना आयोग, भारत सरकार के द्वारा प्रकाशित मैनुअल को पढ़ कर उस पर समझ बनाना प्रशिक्षक के लिये बेहतर होगा। इस संदर्भ में मध्य प्रदेश योजना आयोग के द्वारा प्रकाशित सहभागी विकेन्द्रहकृत नियोजन प्रक्रिया मैनुअल की जानकारी होना और बेहतर स्थिति होगी।
- चर्चा को सजीव बनाने के लिये विभिन्न प्रकार के हितभागी समूह बनाये जा सकते हैं और उनकी आपसी चर्चा के आधार पर विकास के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करायी जा सकती है।
- स्वाट विश्लेषण के लिये सहभागियों को स्थानीय स्थिति के आधार पर चर्चा करने के लिये प्रेरित किया जाना चाहिये।
- संदर्भ सामग्री में दिये गये विषय वस्तु का अध्ययन कर उससे संबंधित नोट्स तैयार कर लेने से प्रशिक्षकों को आसानी होगी।

चौथा सत्र

विषयः विकास कामों को पूरा करने के लिये आवश्यक सहयोग और उनकी पूर्ति।

अवधि – 3 घंटे 45 मिनट।

सत्र का उद्देश्य –

- प्रशिक्षण में शामिल लोगों को अपने स्थानीय विकास के लिये आवश्यक सहयोग के बारे में जानकारी होगी।
- लोग आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने वाले लोगों और संस्थाओं के बारे में जान पायेंगे।

प्रशिक्षण सामग्री – चार्ट पेपर, मार्कर, एल.सी.डी. और स्क्रीन।

नागरिक मंच ने किया जिला योजना के निर्माण का प्रचार–प्रसार

नेपानगर में जिला योजना निर्माण के संबंध में जिला कार्यालय से पत्र मिलने के बाद नगर पालिका के कर्मचारियों ने पाया कि योजना बनाने का निर्धारित समय बहुत करीब है। ऐसे में लोगों को योजना निर्माण के काम से जोड़ना एक चुनौती थी। अखबार और लाउड स्पीकर से प्रचार करने की अपनी सीमायें थी और लोगों का जुड़ाव भी सुनिश्चित नहीं था।

ऐसी स्थिति में नगर पालिका के पदाधिकारियों ने नागरिक मंच के लोगों से इस विषय पर विचार–विमर्श आयोजित किया। नागरिक मंच के कार्यकर्ताओं ने जिला योजना के प्रचार–प्रसार की एक कार्य योजना बनायी। उन्होंने विषय से संबंधित जानकारियों को प्रचार–प्रसार के विभिन्न माध्यमों से लोगों के घर–घर तक पहुॅचाया और उन्हें वार्ड स्तर की योजना निर्माण के काम में जोड़ने में सफलता पायी।

सत्र संचालन की विधि – इस सत्र में प्रशिक्षक दल/संदर्भ व्यक्ति के द्वारा विकास के कार्यों में सूचनाओं और जानकारियों के प्रसार–प्रसार के विषय में चर्चा की जायेगी। प्रशिक्षक दल/संदर्भ व्यक्ति के द्वारा पावर प्वाइंट के माध्यम से जिला योजना निर्माण में सूचनाओं और जानकारियों पर एक संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण भी किया जायेगा।

इसके बाद संभागियों में सूचनाओं के प्रचार–प्रसार की विधियों और स्वैच्छिक संगठनों, गैर सरकारी संस्थाओं और अन्य नागरिक समाज संगठनों की भूमिका पर छोटे समूह में चर्चा कराई जायेगी। छोटे समूह में चर्चा के लिये 25–30 मिनट का समय दिया जा सकता है। समूह चर्चा से निकले महत्वपूर्ण बिन्दुओं को समूह के सदस्यों के द्वारा बडे समूह में प्रस्तुत किया जायेगा।

सभी समूहों के द्वारा प्रस्तुतिकरण कर लिये जाने के बाद एक खुली चर्चा करयी जा सकती है ताकि संभागी अन्य प्रस्तुतियों पर भी अपने विचार रख सकें। चर्चा पूरी होने के बाद प्रशिक्षक दल/संदर्भ व्यक्ति के द्वारा डीब्रिफिंग के माध्यम से सभी महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर एक बार पुनः संभागियों का ध्यान आकृष्ट किया जाय जिससे उनकी समझ बेहतर बन सके।

प्रशिक्षक के लिये विशेष बात

- मध्य प्रदेश योजना आयोग द्वारा विकेन्द्रीकृत योजना बनाने के संबंध में दिये गये दिशा निर्देशों को पढ़ कर उस पर समझ बनायें। साथ ही योजना आयोग के द्वारा इस संबंध में जारी प्रपत्रों के माध्यम से तय की गयी नियोजन की संरचना को स्पष्ट करें। इस संसबंध में योजना आयोग के मैन्युअल की मदद ली जा सकती है।
- ग्रामीण व नगरीय योजनाओं के निर्माण के लिये गठित किये जाने वाले तकनीकी दलों और उनके काम के बारे में लोगों को जानकारी दें।
- राज्य योजना आयोग के बारे में पूरी जानकरी दें जिससे लोग आवश्यकता पड़ने पर उनसे सम्पर्क कर सकें।
- विषय से संबंधित नोट्स बनाकर रखना प्रशिक्षण में उपयोगी होगा।

पॉचवां सत्र

विषयः भविष्य की कार्य योजना।

अवधि – 2 घंटे 15 मिनट।

सत्र का उद्देश्य –

- कार्यक्रम में उपस्थित लोगों से उनके भविष्य की कार्य योजना तैयार करवाना।
- लोगों को योजना बनाने के संबंध में सभी तक जानकारी उपलब्ध कराने के लिये प्रेरित करना।
- लोगों को बैठक आयोजन के सही तरीकों के बारे में जानकारी देना।
- लोगों को समाज के सभी वर्ग के लोगों को योजना बनाने के काम में जोड़ने के लिये प्रेरित करना।

प्रशिक्षण सामग्री – फीड बैक फार्म, चार्ट पेपर, मार्कर।

सत्र संचालन की विधि – सत्र के दौरान प्रशिक्षक दल के द्वारा दो दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम पर संभागियों के विचारों को जानने का प्रयास किया जायेगा। इसके लिये पहले से तैयार फीड बैक प्रपत्र का प्रयोग किया जा सकता है। फीड बैक प्रपत्र भरने के लिये संभागियों को 10–15 मिनट का समय दिया जाना चाहिये।

फीड बैक प्रपत्र न होने की स्थिति में मूडो–मीटर का उपयोग भी किया जा सकता है और प्रत्येक संभागी से विभिन्न सत्रों के दौरान उसके विचारों को मूडो–मीटर के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

प्रशिक्षक के लिये विशेष बात

- सूचना और जानकारियों के प्रसार–प्रसार की सही जानकारी देने के तरीकों पर चर्चा करें। इस संबंध में उपलब्ध आई.ई.सी. सामग्रियों को बांट सकते हैं।
- बैठकों के प्रबंधन के संबंध में 'फिश–बाउल' पद्धति के आधार पर एक बैठक का आयोजन कर समझ बनाने का प्रयास करें।
- समाज के कमजोर वर्ग के लोगो को योजना बनाने के काम में आने वाली समसरूाओं पर चर्चा करें।
- लोगों से योजना बनाने के काम में आने वाली परेशानियों के बारे में चर्चा करें। इन परेशानियों को दूर करने के लिये कार्य योजना का निर्माण करायें।

छठां सत्र

विषयः कार्यक्रम पर संभागियों की राय, धन्यवाद ज्ञापन।

अवधि – 1 घंटा।

सत्र का उद्देश्य – कार्यक्रम के दौरान आयोजित विभिन्न सत्रों में चर्चा के विषयों पर संभागियों की बनी सीख के बारे में जानकारी लेना। इसके साथ ही इस बात की जानकारी भी प्राप्त करना कि संभागियों को प्रशिक्षण की कौन सी पद्धति ज्यादा बेहतर लगी।

प्रशिक्षण सामग्री – फीड बैक फार्म, चार्ट पेपर, मार्कर।

सत्र संचालन की विधि – सत्र के दौरान प्रशिक्षक दल के द्वारा दो दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम पर संभागियों में बनी सीख को जानने का प्रयास किया जायेगा। इसके लिये पहले से तैयार फीड बैक प्रपत्र का प्रयोग किया जा सकता है।

फीड़ बैक प्रपत्र को संभागियों के साथ बड़े समूह में प्रश्नों के विभिन्न उत्तरों का हाथ उठा कर जबाव लिया जा सकता है। यदि सीख के संबंध में बेहतर दस्तावेज तैयार करना है और भविष्य में पुनः इसी समूह के क्षमता विकास के संबंध कोई और कार्यक्रम तय किया जाना है तो संभागियों के द्वारा प्रपत्र को भर कर देने का अनुरोध करना चाहिये। फीड बैक प्रपत्र भरने के लिये संभागियों को 10–15 मिनट का समय दिया जाना चाहिये।

प्रशिक्षकों के लिये नोट &

- लोगों से कार्यक्रम में शामिल किये गये विषयों से ही संबंधित प्रश्न पूछें।
- यदि लोगों को प्रश्नावली भरने में दिक्कत हो तो मूल्यांकन के अन्य तरीकों का इस्तेमाल करें।
- लोगों को मूलयांकन प्रपत्र में अपना नाम लिखने के लिये बाध्य न करें।

प्रशिक्षण सामग्री

(पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों के लिये)

स्थानीय विकास का विश्लेषण

अजयगढ़ पन्ना जिले की एक नगर पंचायत है जिसकी जनसंख्या 15,000 है और उसमें 15 वार्ड है। अजयगढ़ घाटी में स्थित एक शहर है और चारों तरफ से पहाड़ों एवं जंगलों से घिरा हुआ है। अन्य नगर पंचायतों की तरह यहां पर पानी के लिये बहुत अधिक कुएं हैं एवं निजी नल कनेक्शन तकरीबन 20–30 प्रतिशत और निजी शौचालय तकरीबन 40 प्रतिशत ही है।

शहर में नालियों की बहुत कमी है एवं 20 प्रतिशत घरों में ही पक्की नालियां हैं। अधिकतर घरों के आस–पास पानी फैला रहता है व बारिश के पानी का जमाव एक बड़ी समस्या है। शहर के तकरीबन 20 प्रतिशत क्षेत्र में बरसात के मौसम में एक महीने से अधिक तक पानी का जमाव रहता है।

शहर में बहुत गरीबी है। पहले लोग जंगलों से लघु उत्पाद इकट्ठा करके अपना जीवन–यापन करते थे लेकिन अब जंगल शहर से बहुत दूर हो गये हैं और लघु उत्पाद भी कम हो गये हैं इस वजह से लोगों की जीविका में बहुत कमी आयी है। शहर में रोजगार के बहुत कम साधन है । शहर में 4–5 बड़े तालाब हैं जो कि पिछले कुछ सालों में बहुत सूख गये हैं।

इसी प्रकार मध्य प्रदेश के गुना जिले के आंकड़ों का विश्लेषण करें तो यह पाते हैं कि पूरे प्रदेश में मानव विकास के आधार पर यह 36वें स्थान पर है तथा जेण्डर आधारित विकास में 40वें स्थान पर हैं। प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर लगभग 55 हजार की जनसंख्या आश्रित है। जिले में लगभग 59 प्रतिशत जमीन पर खेती हो पाती है।

ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो बताते हैं कि आजादी के बाद विकास की विभिन्न योजनाओं को चलाये जाने के बाद भी उनका लाभ स्थानीय स्तर पर लोगों को नहीं मिल पा रहा है। यह पाया गया कि सरकार की योजनाओं के बनने से लेकर उनके क्रियान्वयन में लोगों का जुड़ाव न होने और इस वजह से रूचि न होने के कारण लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इन बातों के साथ ही लोगों के सरकार तक पहुॅच की समस्या भी महसूस की गयी।

स्रकार तक लोगों की पहुॅच बनाने और व्यवस्था में लोगों की भागीदारी को बढ़ा कर उनके विकास को सुनिश्चित करने के लिये संविधान में कुछ संशोधन भी किया गया। संविधान के इन संशोधनों के आधार पर अब विकास का लाभ लेना लोगों के हाथ में आ गया है।

सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों के संबंध में मध्य प्रदेश की स्थिति

क्र म	सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य	राष्ट्रीय विकास लक्ष्य	मध्य प्रदेश की स्थिति
1	गरीबी एवं भुखमरी को खत्म करना– 50 रुपये प्रतिदिन से कम पर जीवन–यापन करने वाले लोगो की संख्या को आधा किया जाये। भुखमरी की कगार पर पहुंचे जनसंख्या के अनुपात को आधा किया जाये।	गरीबी के अनुपात को 2007 तक 5 प्रतिशत और 2012 तक 15 प्रतिशत कम करना।	प्रदेश में 38.3 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करती है। जबकि देश में यह आंकड़ा 27.5 प्रतिशत है। राज्य में प्रति व्यक्ति खाने पर औसतन 128.60 रुपये प्रतिमाह खर्च होता है। राज्य में 3 वर्ष तक की आयु के 60.3 प्रतिशत बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, जो कि गरीबी का लक्षण है।
2	यह सुनिश्चित करना कि वैश्विक स्तर पर सभी बालक–बालिकाएं अभी प्राथमिक स्कूली शिक्षा पूरी कर सके।	2005 तक सभी बच्चों का शाला में नामांकन एवं यह सुनिश्चित करना कि वर्ष 2007 तक सभी बच्चे कम से कम 5 साल की अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करे।	वर्ष 2006 में शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य अनुपात 1:48 है। प्रदेश के 46.89 प्रतिशत शिक्षक अप्रशिक्षित हैं। राज्य में 32 प्रतिशत स्कूलों में केवल एक ही शिक्षक उपलब्ध हैं। वहीं 33. 75 प्रतिशत स्कूलों में महिला शिक्षिका नहीं है। 6 प्रतिशत बच्चों का प्राथमिक शिक्षा हेतु स्कूल में पंजीयन तक नही हो पाता। प्राथमिक स्कूलों में पंजीकृत 85 प्रतिशत बालिकायें सेकेण्ड्री स्कूल तक नही पहुंच पाती। 34 प्रतिशत स्कूल पक्के नहीं हैं और 9.39 प्रतिशत स्कूल एक ही कक्ष में लग रहे हैं। प्राथमिक पर एवं प्राथमिक स्तर से ऊपर 20 प्रतिशत बच्चे बीच में ही स्कूल छोड़ देते हैं जिसमें लड़कियों की संख्या कहीं अधिक है।
3	लैंगिक समानता व महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना–लैंगिक असमानता की वरीयता स्तर पर 2005 तक समाप्ति तथा हर स्तर पर 2015 तक पूर्ण समाप्ति।	2007 तक साक्षरता व मजदूरी में लैंगिक असमानता को कम से कम 50 प्रतिशत तक कम किया जाये।	9 वीं से 12वीं कक्षा तक कुल 36.54 प्रतिशत बालिकाओं का ही पंजीकरण हो सका (30 सितम्बर 2005 तक)। कुल 38.16 प्रतिशत महिला शिक्षक हैं। राज्य में 33.34 प्रतिशत शालाओं में महिला शिक्षक नहीं है। राज्य के 12 विश्वविद्यालयों में से एक में भी महिला कुलपति नहीं है।
4	बाल मृत्युदर कम करना– 5 साल से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर को दो तिहाई (यदि 100 है, तो 33	शिशु मृत्यु दर को 2007 तक प्रति एक हजार में 45 एवं वर्ष 2012 तक 28 किया जाए।	नवजात शिशु की मृत्यु दर एक हजार पर 72 है। 2 वर्ष तक के 22.4 प्रतिशत बच्चों को ही सभी बीमारियों से बचाव के टीके

क्रम	सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य	राष्ट्रीय विकास लक्ष्य	मध्य प्रदेश की स्थिति
	पर लाना) कम करना।		लग पाते हैं। राज्य में 69,238 आंगनवाड़ी केन्द्र हैं जिसमें से 49206 ही कार्यशील हैं राज्य में प्रत्येक 5 मिनट में 1 बच्चे की मृत्यु होती है। 0 से 4 वर्ष के आयु वर्ग के 37 प्रतिशत बच्चे भूख के कारण दम तोड़ देते हैं। कुपोषितों का 54 प्रतिशत से बढ़कर 60.3 प्रतिशत हो गया है।
5	मातृत्व स्वास्थ्य सुधार – मातृत्व मृत्यु दर को 75 प्रतिशत (यदि 100 है तो 25 करना) कम करना	2007 तक प्रति एक हजार जच्चगी में मातृत्व मृत्यु दर को दो एवं 2012 तक एक करना।	मातृ मृत्यु दर 379/100000 है। राज्य में लगभग प्रतिवर्ष 7000 महिलाओं की मृत्यु प्रसव के दौरान होती है। संस्थागत प्रसव – 29.7 प्रतिशत (एन. एफ.एच.एस) गरीब परिवारों में केवल 17 प्रतिशत परिवारों को ही डॉक्टर या प्रशिक्षित स्वास्थ्य सुविधादाता की सुविधा प्राप्त होती है। ग्रामीण अस्पतालों में कुल 9300 पलंग उपलब्ध हैं अतः 5.6 गांवों पर 1 बिस्तर उपलब्ध है। अनुसूचित जाति की 70.3 प्रतिशत महिलायें एनीमिक हैं।
6.	एच.आईवी./एड्स मलेरिया तथा अन्य खतरनाक बीमारी के खिलाफ संघर्ष इनके लक्षणों को पता करना तथा कम करने का प्रयास करना।	अत्यधिक खतरनाक बीमारी वाले समूहों का लक्ष्य कर हस्तक्षेप द्वारा 80 प्रतिशत कवरेज। 90 प्रतिशत स्कूलों एवं महाविद्यालयों में शैक्षणिक कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों का शिक्षित करना। ग्रामीण क्षेत्र के 80 प्रतिशत सामान्य लोगों में जागरूकता बढ़ना। रक्त के संरचण द्वारा होने वाली बीमारियों को कम से कम एक स्वैच्छिक प्रशिक्षण एवं सूचना केन्द्र स्थापित करना। वर्ष् 2007 तक एच.आई.वी/एड्स की बढ़ोत्तरी 8 स्तर प्री–वैल्यू तक जाना।	60 प्रतिशत से अधिक आबादी मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में निवास करती है विशेषकर आदिवासी जिलों में। देश के कुल मलेरिया केसों में से 24 प्रतिशत केस मध्य प्रदेश में होते हैं जबकि देश में मलेरिया से होने वाली कुल मृत्यु में से 20 प्रतिशत मृत्यु मध्यप्रदेश में होती है। मध्य प्रदेश में ग्रामीण परिवारों में से 90.4 प्रतिशत परिवारों के पास शौचालय सुविधा उपलब्ध नहीं है। मध्य प्रदेश के एच.आई.वी प्रभावितों के आंकड़ों पर नजर डालें तो इनमे से 72 प्रतिशत पुरूष एवं 28 प्रतिशत महिलायें हैं। 85 व्यक्ति/100 हजार टी.बी. से प्रभावित है।

क्रम	सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य	राष्ट्रीय विकास लक्ष्य	मध्य प्रदेश की स्थिति
7.	पर्यावरण संतुलन– छेश में टीकाऊ विकास के लिए पर्यावरण संरक्षण संबंधी कार्यक्रम चलाना। वर्तमान में स्वस्थ शुद्ध जल न पीने वालों की संख्या को घटकर आधी करना। 2020 तक करीब 10 करोड़ झुग्गी–झोपड़ी वासियों के जीवन स्तर में सुधार करना।	देश में जंगलों तथा वृक्षों की संख्या 2007 तक 12 प्रतिशत और 2012 तक 33 प्रतिशत करना। 2007 तक शहर की बड़ी प्रदूषित नदियों को साफ करना तथा अन्य को 2012 तक साफ करना।	राज्य में लगभग 38 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास पीने योग्य पानी नहीं है। राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल योजना और सेक्टर रिफार्म प्रोजेक्ट के परिणाम उत्साह जनक नहीं है मध्य प्रदेश शासन 156.35 करोड़ राशि को कम कर रहा है। राज्य के 22 जिलों में भूमिगत जल का स्तर 2 से 4 मीटर नीचे पहुंच गया है। राज्य में 30.71 प्रतिशत वन क्षेत्र है लेकिन करीब 70 प्रतिशत बिगड़े वन है।

उपरोक्त तालिका के आधार पर स्थानीय स्वशासन की ईकाइयों के जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों की स्थिती का आकलन कर सकते हैं।

संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के बाद भारतीय संविधान में अध्याय 9 और 9 (ए) को जोड़ा गया। इसके अनुसार स्थानीय स्तर पर क्रमशः ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी क्षेत्र में स्थानीय शहरी निकायों के गठन का प्रावधान किया गया है। 74वें संविधान संशोधन के अनुसार जिले के स्तर पर बनायी जाने वाली जिला योजना समितियों की एक प्रमुख जिम्मेदारी यह होगी कि उनके द्वारा जिले की विभिन्न पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय शहरी निकायों के द्वारा तैयार की वार्षिक योजनाओं का समेकन कर जिला योजना का निर्माण किया जाय।

संविधान के अनुच्छेद 243 छ और 243 ब के अनुसार क्रमशः पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय नगरीय निकायों को 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची में दिये गये विषयों के संबंध में योजनाओं को बनाने का कार्य सौंपा गया है (संलग्नक)। इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 243 य घ में देश के प्रत्येक राज्य के सभी जिलों में जिले के स्तर पर एक जिला योजना समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। इस जिला योजना समिति के द्वारा स्थानीय सरकारों (ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी क्षेत्र में स्थानीय शहरी निकायों) के सबसे निचले स्तर (ग्राम सभा/वार्ड सभा) से शुरू होकर जिले के स्तर तक के नियोजन को समेकित किया जाता है तथा उसे जिला योजना का स्वरूप दिया जाता है।

मध्य प्रदेश में वर्तमान में 50 जिले हैं जिनमें कुल 313 जनपद पंचायत, 23051 ग्राम पंचायतें, लगभग 52 हजार ग्राम सभायें और 338 नगरीय निकाय (14 नगर निगम, 87 नगर पालिका परिषद् और 237 नगर पंचायत) हैं। इतने बड़े राज्य में नियोजन की प्रक्रिया को पूरा करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। इसको ध्यान में रखते हुये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा नियोजन का एक ढ़ांचा तैयार किया गया है। इसे मध्य प्रदेश में नियोजन का संरचनात्मक ढ़ांचा भी माना जा सकता है।

मध्य प्रदेश में नियोजन की संरचनात्मक व्यवस्था

मध्य प्रदेश में विकेन्द्रीकृत नियोजन की व्यवस्था को साकार करने के उद्देश्य से राजय सरकार के द्वारा राज्य के स्तर पर एक संरचना तैयार की गयी है। इस संरचना में राज्य योजना आयोग के सहयोग से जिला योजनाओं को विकेन्द्रीकृत पद्धति से तैयार करने का कार्य किया जाना है। राज्य में नियोजन की वर्तमान व्यवस्था को चित्र के माध्यम से दिखाया गया है।

मध्य प्रदेश में नियोजन की वर्तमान व्यवस्था

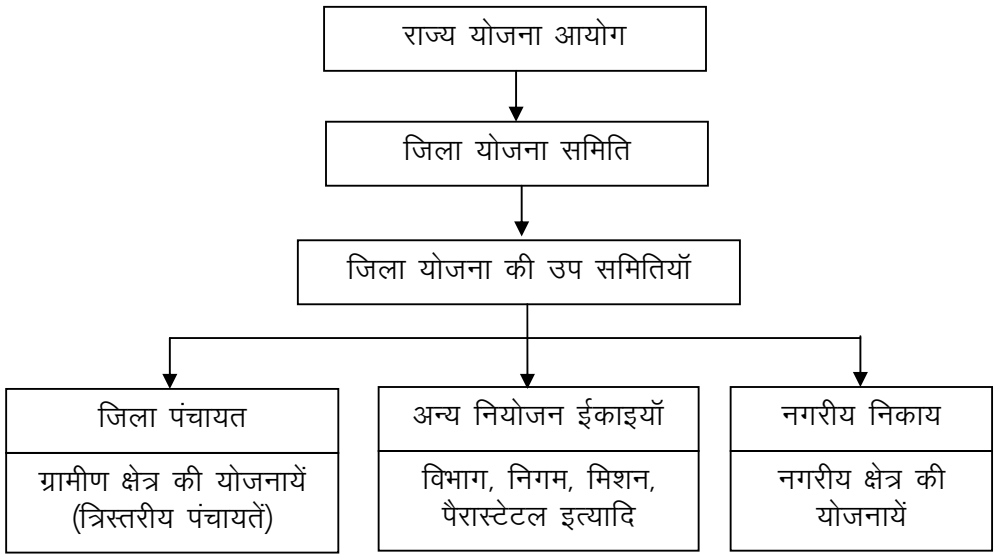

राज्य सरकार के द्वारा संविधान की मंशा के अनुसार जिले स्तर पर जिला योजना समिति को शीर्ष ईकाई के रूप में मान्यता दी है। जिला योजना समिति ही ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र की योजनाओं को समेकित कर जिला योजना तैयार करेगी। ग्रामीण क्षेत्र की योजनाओं को तैयार करवाने की जिम्मेदारी जिला पंचायत की होगी। यहॉ महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसी सभी नियोजन ईकाइयॉ जो सीधे जिला पंचायत के प्रति जवाबदेह नहीं हैं (विभाग, निगम, मिशन,

पैरास्टेटल इत्यादि) उनके द्वारा भी अपनी योजनाओं को तैयार कर जिला योजना समिति को दिया जाना है।

ग्रामीण विकास से जुड़े निगम, मिशन, पैरास्टेटल इत्यादि	शहरी विकास से जुड़े निगम, मिशन, पैरास्टेटल इत्यादि
सर्व शिक्षा अभियान	जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय पुनर्नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.)
राजीव गॉधी जल ग्रहण मिशन	मध्य प्रदेश गृह निर्माण मण्डल
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वस्थ्य मिशन	ग्राम एवं नगर निवेश संगठन
राजीव गॉधी कम्प्युटर साक्षरता मिशन	प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
राष्ट्रीय बागवानी मिशन	शहरी विकास प्राधिकरण
इस प्रकार के अन्य अभियान	इस प्रकार के अन्य संस्थान

किन्तु यहॉ पर एक प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि सरकार के द्वारा इतने व्यापक पैमाने पर व्यवस्था किये जाने के बाद भी मध्य प्रदेश का अधिकांश हिस्सा या यहाँ रहने वाले अधिकांश लोग विकास की प्रक्रिया में बहुत पिछड़े दिखायी देते हैं। मध्य प्रदेश के लोगों को विकास की योजनाओं का लाभ नहीं मिला इसके बहुत से कारण हो सकते हैं किन्तु बिना इन कारणों को ठीक प्रकार से समझे स्थानीय स्तर पर विकास के लक्ष्य को नहीं पाया जा सकता है।

इन कारणों को समझने के लिये यह आवश्यक है कि स्थानीय स्तर की योजना को बनाने के पहले हम अपने स्थानीय स्थिति का विश्लेषण करें। विश्लेषण के दौरान हम निम्नलिखित प्रश्नों पर चिार करें और उसके बाद सभी के प्रयासों से इनके उत्तर को जानने का प्रयास करें। स्थानीय विकास के संबंध में कुछ प्रश्न निम्नलिखित हो सकते हैं–

- क्या हमारे गॉव के सभी लोगों को रोजगार के समुचित अवसर मिल रहे हैं?
- क्या हमारे गॉव के सभी बच्चों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा मिल पा रही है?
- क्या हमारे गॉव की सभी लड़कियों का विद्यालय में नामांकन हो रहा है?
- क्या हमारे गॉव में उपलब्ध सभी संसाधनों (मानव, प्राकृतिक, तकनीकी इत्यादि) का स्थानीय विकास में समुचित उपयोग हो पा रहा है?
- क्या हमारे गॉव के सभी लागों को पीने का शुद्ध पानी मिल पा रहा है?
- क्या हमारे गॉव में खेती के काम के लिये पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो रहा है?
- क्या हमारे गॉव की सभी गर्भवती महिलाओं की नियमित जॉच हो रही है?

- क्या हमारे गॉव में सभी प्रसव संस्थागत तरीके से हो रहे हैं?
- क्या हमारे गॉव में होने वाली बिमारियों और उनसे होने वाली मौत में कमी आ रही है?
- क्या हमारे गॉव के विकास का लाभ सभी लोगों को समान रूप से मिल रहा है?

इस प्रकार के प्रश्नों को पूछने और उन पर विचार करने से स्थानीय स्तर की समस्याओं पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जा सकता है। इन प्रश्नों पर विचार करने से स्थानीय स्तर की कुछ मजबूतियों (ताकतों) को जाना जा सकेगा। इसी प्रकार इन प्रश्नों के विश्लेषण से कुछ ऐसी कमियों के बारे में भी जानकारी मिल सकेगी जिनको दूर करके विकास की गति को और तेजी से बढ़ाया जा सकेगा। इस प्रकार के विश्लेषण को हम स्थिति–विश्लेषण कहते हैं। इसे प्रबंधन की भाषा में स्वॉट (SWOT) विश्लेषण भी कहते हैं।

स्वॉट विश्लेषण प्रायः संस्थागत विकास के संदर्भ में किया जाता है। स्वॉट शब्द अंग्रेजी के चार शब्दों Strength (ताकत), Weakness (कमजोरी), Opportunity (अवसर), और Threath (खतरा), के प्रारम्भिक अक्षरों से मिल कर बना है। यदि जिले या गॉव/शहर को एक संस्था के रूप में देखा जाय विकास के परिप्रेक्ष्य में इनके विश्लेषण की आवश्यकता हो तो इनका भी स्वॉट विश्लेषण उसी प्रकार से किया जा सकता है जिस प्रकार से किसी संस्था का स्वॉट विश्लेषण होता है।

स्वॉट विश्लेषण को करने से पहले यह आवश्यक है कि उस पर एक व्यापक समझ बनायी जाय। ताकत और कमजोरी जिले या गॉव के अंदर की चीजें हैं। किसी गॉव की ताकत किसी गॉव में जन, जानवर, जल, जंगल, जमीन इत्यादि उसके ताकत से जुड़े पहलू हैं। किन्तु एनीमिया से ग्रस्त महिलायें, कुपोषित बच्चे, अनपढ़ युवक और युवतियॉ, जिले या गॉव की कमजोरियॉ हैं।

इसी प्रकार अवसर और खतरा बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं। किसी जिले या गॉवके लिये ग्रामीण रोजगार गारन्टी कार्यक्रम, पिछडा क्षेत्र विकास निधि, किसी उद्योग का आरम्भ इत्यादि अवसर के रूप में देखे जा सकते हैं। इसी प्रकार बाढ़ या सूखे की विभिषिका, सरकार की नीतियों में परिवर्तन के कारण सामाजिक कल्याण की योजनाओं का समापन, काम के अभाव में लोगों का पलायन इत्यादि को संभावित खतरों के रूप में देखा जा सकता है।

स्थानीय विकास की योजनाओं को बनाते समय संबंधित जिले या गॉव/शहर का स्वॉट विश्लेषण एक ऐसी तस्वीर सामने रखता है जिसके आधार पर योजनाओं का निर्माण सहजता से किया जा सकता है।

रूस्तमपुर गॉव का स्वॉट विश्लेषण

ताकत	कमजोरी	अवसर	खतरा
• गॉव के 12 स्नातक तक पढ़े लोग, • गॉव में सेवानिवृत्ति के बाद रहने वाले 3 सरकारी कर्मचारी, • साल भर भरे रहने वाले गॉव के दो तालाब, • गॉव का माध्यमिक विद्यालय	• गॉव की महिलाओं में एनिमिया की समस्या, • गॉव के बीचो–बीच स्थित पहाड़ी, • गॉव के बुजुर्गों में निरक्षरता	• सरकार के सहभागिता के आधार पर आयोजना का आरम्भ, • संविधान के द्वारा स्थानीय सरकारों को सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने का अधिकार, • पास के शहर में घर बनाने के लिये पत्थरों की मॉग	• गॉव में ज्यादा सड़कों के निर्माण से खेती के काम वाली भूमि में कमी,

स्वॉट विश्लेषण के चरण और सावधानियाँ

किसी जिले या गॉव/शहर का स्वॉट विश्लेषण सहभागी तरीके से ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ किया जाना चाहिये। विश्लेषण के सहभागी और सही तरीके से न होने पर जिले या गॉव/शहर की वास्तविक स्थिति का ऑकलन करना बहुत कठिन होगा और आगे चल कर यह योजनाओं के निर्माण में समस्या पैदा करेगा जिससे योजनाओं का लाभ केवल कुछ लोगों तक ही सीमित रह जाने की संभावना बढ़ जायेगी।

स्वॉट विश्लेषण करते समय कुछ सावधानियों को बरतना चाहिये जिससे विश्लेषण सही प्रकार से किया जा सके और वांछित लक्ष्यों को सहजता से पाया जा सके। स्वॉट विश्लेषण के समय बरती जाने वाली कुछ सावधानियाँ निम्नलिखित हैं –

- स्वॉट विश्लेषण से जुड़े सभी व्यक्तियों में स्थानीय विकास से जुड़ी आन्तरिक एवं बाहरी स्थिति की पूर्ण एवं स्पष्ट जानकारी होनी चाहिये,
- विश्लेषण के दौरान सभी पहलुओं पर गहन चर्चा की जानी चाहिये,
- विश्लेषण सच्चाई, ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ किया जाना चाहिये,

- भविष्य की कार्य योजना पर बन जाने पर उसे अमल में लाने के लिये कार्य जल्दी से शुरू करने का प्रयास करना चाहिये।

प्राथमिकताओं का निर्धारण

स्थानीय स्तर पर विकास के संबंध में विश्लेषण कर लेने के बाद यह आवश्यक है कि समस्याओं की सूची तैयार कर ली जाय। इस सूची के बन जाने के बाद समस्याओं की प्राथमिकता को निर्धारित किया जा सकेगा। प्राथमिकता का निर्धारण हो जाने के बाद स्थानीय स्तर पर योजना को बनाना आसान होगा।

बेहतर होगा कि स्थानीय स्तर पर आयोजना करते समय कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को स्थानीय स्तर पर नियमित रूप से इकठ्ठा किया जाय और उन पर भी चर्चा की जाय। ग्राम पंचायतों के द्वारा अपने पंचायत घर के सामने गांव से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़ों को संकलित कर उसे अवश्य प्रदर्शित किया जाना चाहिये। जैसे –

1. गांव की कुल जलसंख्या
2. बच्चों की संख्या
3. स्कूलों की संख्या
4. अस्पतालों की संख्या
5. स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या
6. स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या
7. गर्भवती महिलाओं की संख्या
8. गर्भवती महिलाओं की प्रसव के दौरान मृत्यु की संख्या
9. पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या
10. पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु की संख्या
11. गांवों में कृषि जोत के अन्तर्गत भूमि का रकबा
12. ग्राम सभा की जमीन का रकबा
13. ग्राम सभा के अन्तगत सरकारी सम्पत्तियों की संख्या
14. गांव में कुल कितने हैण्डपंम्प हैं और कितने खराब हैं उसकी संख्या
15. गांव में शौचालयों की संख्या

स्थानीय स्तर पर योजना का निर्माण करते समय कुछ आधारभूत बिन्दुओं पर ध्यान देने की जरूरत है जिससेयोजना को वास्तविकता के आधार पर बनाया जा सके। योजना के निर्माण के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को निम्न प्रकार से देखा जा सकता है –

- लक्ष्यों की पहचान और उनका प्राथमिकीकरण
- संसाधनों की पहचान और उन्हें लक्ष्यों से जोड़ना
- दूसरी संस्थाओं/ योजनाओं से जुड़ाव
- आयोजना के अनुरूप क्रियान्वयन

लक्ष्यों की पहचान और उनका प्राथमिकीकरण

स्थानीय स्तर पर योजना बनाते समय बेहतर यह होगा कि सबसे पहले तो स्थानीय स्तर पर एक विजन दस्तावेज तैयार किया जाय। निश्चित रूप से यह विजन दस्तावेज भविष्य को ध्यान में रखकर स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं पर आधारित होना चाहिये। यह संभव है कि किसी क्षेत्र विशेष में आजीविका और रोजगार की समस्या ज्यादा प्रभावी हो जबकि पास के किसी क्षेत्र में स्वास्थ्य की समस्या को ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाय। ऐसी स्थिति में दोनों ही क्षेत्रों में योजनाओं के निर्माण लक्ष्य भिन्न–भिन्न होंगे।

वर्तमान समय में बहुत से राज्यों में जिला स्तर पर मानव विकास प्रतिवेदनों का निर्माण किया जा रहा है। स्थानीय स्तर पर विजन दस्तावेजों के निर्माण के दौरान इन मानव विकास की रिपोर्टों को सामने रख कर भविष्य के लक्ष्य निर्धारित किये जाये ंतो बेहतर होगा। इसी प्रकार विजन दस्तावेज के निर्माण में सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिये। मानव विकास प्रतिवेदन और सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों की वर्तमान स्थिति के आधार पर स्थानीय स्तर पर लक्ष्यों का प्राथमिकीकरण करके योजनाओं का निर्माण किया जा सकता है।

संसाधनों की पहचान और उन्हें लक्ष्यों से जोड़ना

योजना निर्माण करने के उपरान्त उसे सही ढ़ंग से क्रियान्वित करने के लिये यह आवश्यक है कि योजना के क्रियान्वयन के लिये आवश्यक संसाधनों की भी पहचान कर ली जाय। इन संसाधनों में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधन जैसे प्राकृतिक, मानवीय, आर्थिक संसाधन शामिल हैं। जितने ज्यादा संसाधन स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होंगे योजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान दूसरों पर निर्भरता उतनी ही कम होगी और अपने संसाधनों को उपयोग करने संबंधी निर्णय लेने में उतनी ही सुविधा होगी।

यहाँ यह बात ध्यान देने की है कि योजना निर्माण के समय स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों के साथ ही आस–पास उपलब्ध संसाधनों के उपयोग पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसा न होने पर कई बार संसाधनों का उपयोग ऐसी सुविधाओं के लिये किया जाता है जो पास मे पहले से उपलब्ध तो हैं किन्तु उनकी क्षमता का समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है।

जहाँ तक आर्थिक संसाधनों का प्रश्न है तो वर्तमान में केन्द्र व राज्य सरकार के द्वारा अलग–अलग क्षेत्रों के विकास के लिये विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। सरकार की इन विभिन्न योजनाओं में उपलब्ध राशि का उपयोग जिला स्तरीय योजना के निर्माण में किया जाना चाहिये। ऐसे जिले जहॉ क्षेत्र विशेष के आधार पर धनराशि आ रही है (उदाहरण के लिये पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष) वहॉ इन संसाधनों का इस प्रकार किया जाना चाहिये जिससे पूॅजी निवेश का दीर्घकालिक लाभ क्षेत्र के लोगों को मिल सके।

दूसरी संस्थाओं/ योजनाओं से जुड़ाव

योजनाओं के निर्माण के समय इस बात का ध्यान रखना भी आवश्यक है जिले में सरकारी प्रयासों के अतिरिक्त विकास से जुड़े अन्य किस प्रकार के गैर सरकारी प्रयास हो रहे हैं। वर्तमान अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र के उद्यमियों के द्वारा अनेक प्रकार के उद्योग और संस्थानों की स्थापना की जा रही है।योजना के निर्माण के दौरान इन उद्योगों और संस्थानों को ध्यान में रखकर योजनाओं का निर्माण किया जा सकता है। बेहतर तो यह होगा कि योजना निर्माण की प्रक्रिया में इन उद्योगों और संस्थानों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाय जिससे उनके विचारों को भी सुना जा सके और जिले के विकास में उनकी भूमिका को सुनिश्चित किया जा सके।

आयोजना के अनुरूप क्रियान्वयन

योजना के निर्माण के बाद उसका सही तरीके से क्रियान्वयन जिला योजना का एक और महत्वपूर्ण सूत्र है। मुख्य रूप से यह कार्य स्थानीय स्वशासन की इकाईयों का है किन्तु स्थानीय नागरिक होने के नाते सभी लोगों की यह जिम्मेदारी बनती है उनके द्वारा योजना के क्रियान्वयन के संबंध में पूरी जानकारी मॉगी जाय। इससे योजना के क्रियान्वयन का कार्य करने वाली संस्था के काम में आरम्भ से ही पारदर्शिता बनी रहेगी और उसके द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का लाभ सही व्यक्ति को उचित गुणवत्ता के आधार पर मिलेगा।

इस कार्य के लिये स्थानीय स्वशासन की इकाईयों के द्वारा भी नियमित रूप से बैठकों का आयोजन करके लोगों को योजना में होने वाली प्रगति से अवगत कराया जा सकता है। इस प्रकार की बैठकों का आयोजन नियमित रूप से या आवश्यकता पड़ने पर भी किया जा सकता है।

कार्यों को पूरा करने के लिये आवश्यक सहयोग और उनकी पूर्ति

स्थानीय स्तर पर विकास के लक्ष्यों को पाने में जहॉ बहुत सी दिक्कतें आती हैं वहीं इस बात को समझने की भी आवश्यकता है कि स्थानीय स्तर पर विकास के लक्ष्यों को पाना आसान भी है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखें तो वर्तमान समय में राज्य सरकार के क्षरा किय जा रहे विभिनन पायों के कारण इन्हें पाना बेहद आसान हो गया है। राज्य सरकार के द्वारा विकेन्द्रीकृत तरीके से जनसहभागिता के आधार पर किये जा रहे जिला योजना के निर्माण कार्य से स्थानीय स्तर पर योजनाओं को लागू करने का भी प्रयास किया जा रहा है।

वर्तमान प्ररिप्रेक्ष्य में जिला स्तरीय नियोजन

संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के बाद भारतीय संविधान में अध्याय 9 और 9 (ए) को जोड़ा गया। इसके अनुसार स्थानीय स्तर पर क्रमशः ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी क्षेत्र में स्थानीय शहरी निकायों के गठन का प्रावधान किया गया है। 74वें संविधान संशोधन के अनुसार जिले के स्तर पर बनायी जाने वाली जिला योजना समितियों की एक प्रमुख जिम्मेदारी यह होगी कि उनके द्वारा जिले की विभिन्न पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय शहरी निकायों के द्वारा तैयार की वार्षिक योजनाओं का समेकन कर जिला योजना का निर्माण किया जाय।

संविधान के अनुच्छेद 243 छ और 243 ब के अनुसार क्रमशः पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय नगरीय निकायों को 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची में दिये गये विषयों के संबंध में योजनाओं को बनाने का कार्य सौंपा गया है (संलग्नक)। इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 243 य घ में देश के प्रत्येक राज्य के सभी जिलों में जिले के स्तर पर एक जिला योजना समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। इस जिला योजना समिति के द्वारा स्थानीय सरकारों (ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी क्षेत्र में स्थानीय शहरी निकायों) के सबसे निचले स्तर (ग्राम सभा/वार्ड सभा) से शुरू होकर जिले के स्तर तक के नियोजन को समेकित किया जाता है तथा उसे जिला योजना का स्वरूप दिया जाता है।

मध्य प्रदेश में ग्रामीण नियोजन की व्यवस्था

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज्य अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में नियोजन एवं योजना निर्माण में ग्राम सभाओं की मुख्य भूमिका है। ग्राम सभाओं के द्वारा स्थानीय स्तर पर तैयार की गयी योजनाओं के साथ ग्राम पंचायतों और जनपद पंचायतों के समेकन से जिला पंचायत के द्वारा जिला पंचायत जिल की योजना को तैयार करेगी। इस योजना को जिले के ग्रामीण विकास की योजना भी कहते हैं।

जिला पंचायत के स्तर पर बनने वाली योजना की प्रक्रिया को निम्न चित्र के आधार पर समझा जा सकता है–

मध्य प्रदेश में ग्रामीण नियोजन की संरचनात्मक व्यवस्था

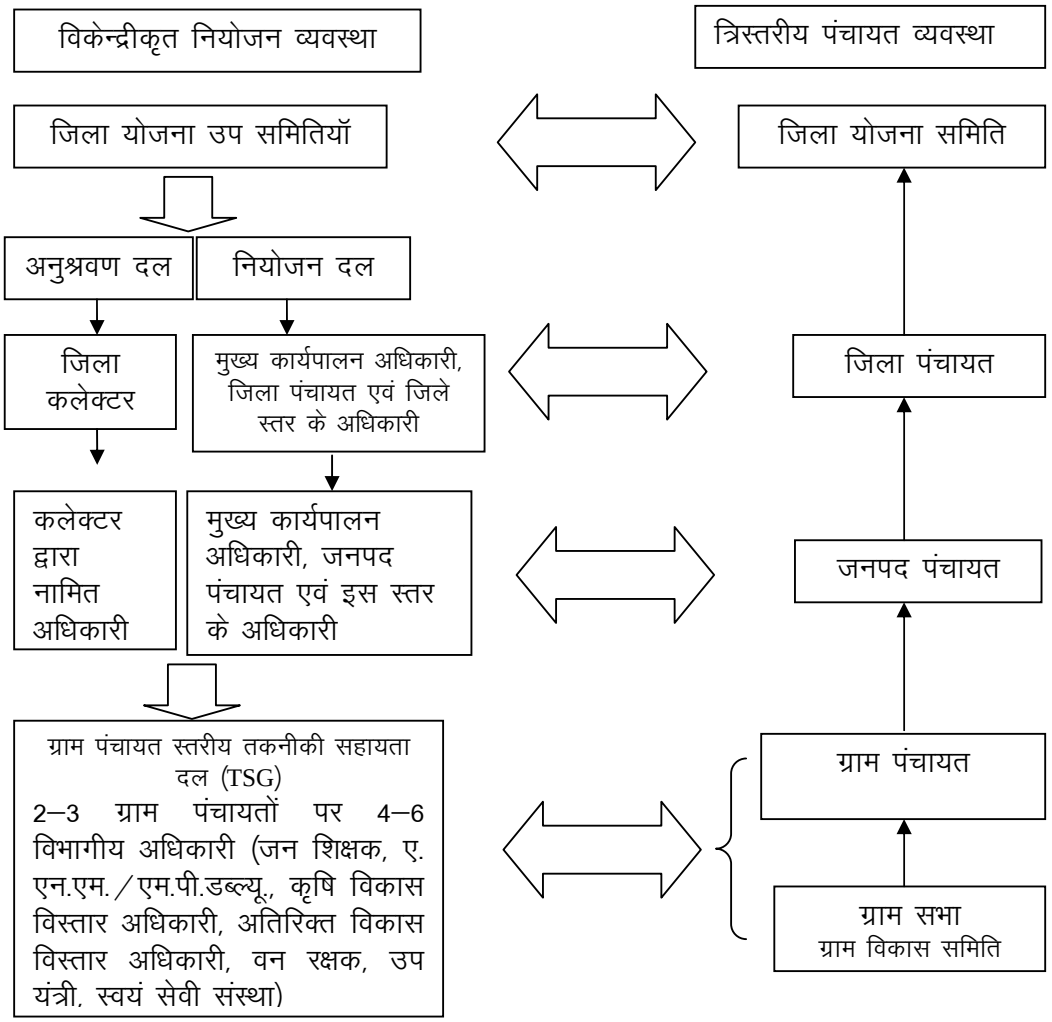

ग्राम सभा स्तर पर नियोजन की कार्यवाही "ग्राम विकास समिति" द्वारा संचालित की जानी चहिये। यदि किसी ग्राम सभा के लिये ग्राम विकास समिति सक्रिय नहीं है तो व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अस्थाई समिति के रूप में "ग्राम स्तरीय नियोजन समिति" का गठन कर नियोजन प्रक्रिया का संचालन कर सकती है। ग्राम स्तरीय समुदाय आधारित संस्थाओं (NGOs/CBOs) जैसे स्वयं सहायता समूह, पालक शिक्षक संघ, वन समिति इत्यादि जो ग्राम सभा के अंतर्गत हैं को भी नियोजन हेतु विचार विमर्श में सम्मलित किया जाना चाहिये। साथ ही ग्राम स्तर पर कार्यरत शासकीय एवं गैर–शासकीय कार्यकर्ताओं जैसे जन शिक्षक, वन रक्षक, पटवारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा एवं अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी नियोजन में सम्मलित किया जाना चाहिये।

ग्राम पंचायत

ग्राम पंचायतों का मुख्य कार्य ग्राम सभा स्तरीय नियोजन के लिये आवश्यक वातावरण निर्माण एवं ग्राम सभाओं से प्राप्त योजनओं का समेकन करना है। ग्राम पंचायतों को नियोजन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी सहायता, मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण के लिये तकनीकी सहायता दल (Technical Support Group- TSG) का गठन किया जायेगा। दल में प्रत्येक क्षेत्रक का यथासंभव एक प्रतिनिधि रखा जायेगा। इस प्रकार प्रत्येक दल में 4 से 6 सदस्य हो सकते हैं। एक दल 2 से 3 ग्राम पंचायतों के समूह (cluster) को सहायता उपलब्ध करायेगा। स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार पंचायतों की संख्या कम या अधिक की जा सकती है। तकनीकी सहायता दल में स्थानीय स्तर पर सक्रिय NGOs, MPRLP, DPIP, जनअभियान परिषद, स्वयंसेवी, कार्यकर्ताओं आदि को भी शामिल किया जा सकता है।

मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा स्थानीय स्तर पर योजनाओं के निर्माण में सहायता करने के उद्देश्य से तकनीकी सहायता दलों का गठन किया है। तकनीकी सहायता दलों के सदस्य अपने–अपने में दक्ष होने के कारण स्थानीय योजनाओं का तैयार करने में सहायक साबित हो सकते हैं।

स्थानीय स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को एक अच्छी योजना बनाने और उन्हें लागू करने के लिये निम्न महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है–

- योजनाओं को बनाने के दौरान लोगों की सहभागिता को बढ़ाना
- योजनाओं को बनाने के लिये बैठकों का आयोजन और प्रबंधन करना

- योजनाओं के निर्माण में सामाजिक समावेशन सुनिश्चित करना

योजनाओं को बनाने के दौरान लोगों की सहभागिता को बढ़ाना

सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं से लोगों का जुड़ाव न हो पाना आरम्भ से ही एक चुनौती के रूप में रहा है। योजनाओं के निर्माण के दौरान लोगों की, विशेष कर समाज के कमजोर और पिछड़े वर्ग के लोगों की, सहभागिता न होने के कारण समाज के कमजोर वर्ग के लोगों की आवश्यकता के अनुसार योजनाओं का निर्माण नहीं हुआ। इसके साथ ही सरकार के द्वारा बनायी गयी योजनाओं का लाभ भी उन लोगों तक नहीं पहुॅच पाया जिनके नाम पर योजनाओं का निर्माण किया गया था।

73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद से स्थानीय स्तर पर 'सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक विकास' की जिम्मेदारी स्थानीय स्वशासन की ईकाइयों को दी गयी है। समाज के कमजोर वर्गों के आर्थिक विकास के लिये यह आवश्यक है कि स्थानीय स्तर पर क्रियान्वित की जाने वाली आर्थिक गतिविधियों में उन्हें अवश्य शामिल किया जाय। इन योजनाओं में कमजोर वर्ग के लोगों के गहन जुड़ाव के लिये उन्हें योजनाओं के निर्माण की आरम्भिक प्रक्रियाओं से ही जोड़ने की आवश्यकता है।

ग्राम पंचायत स्तर पर योजना बनाते समय निम्न समूहों को प्रमुखता के आधार पर ध्यान में रखने की जरूरत हैं–

1. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति,
2. महिलायें एवं बच्चे,
3. विकलांग एवं निराश्रित,

अधिकांशतः देखा गया है कि ग्राम में होने वाली बैठकों, ग्राम की सामाजिक गतिविधियों तथा निर्णयों आदि में उपेक्षित वर्गो की भागीदारी नहीं हो पाती है, और ये वर्ग धीरे–धीरे हाशिए पर चले जाते है। अतः मध्य प्रदेश द्वारा 11वीं पंचवर्षीय योजना की मार्गदर्शिका के आधार पर तय किया कि ग्राम की सभी गतिविधियों में ग्राम के सभी उपेक्षित वर्गो की भागीदारी अनिवार्यतः हो।

ग्राम पंचायतों के सदस्यों और ग्राम विकास समिति को यह ध्यान में रखना होगा कि ग्राम में चारों समूह योजना बनाने के काम से जरूर जुड़ें। यदि किसी ग्राम में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के एक–दो व्यक्ति भी रहते ळें तो उन्हें योजना में अवश्य शामिल किया जाय।

1. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति

   इस समूह में जो व्यक्ति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग में आता है, वही व्यक्ति इस समूह का सदस्य हो सकता है, अन्य जाति का व्यक्ति समूह का सदस्य नहीं हो सकता। यदि ग्राम में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति वर्ग की महिलाओं को इस समूह में जरूर शामिल किया जाए।

2. महिलायें एवं बच्चे

   इस समूह में महिलाएं एवं बच्चे दोनों वर्ग सम्मिलित रहेंगे। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, पिछडे वर्ग तथा सामान्य सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होगा। तकनीकी सहायता दल प्रयास करें कि इसमें सभी जाति वर्गो की समान सहभागिता हो।

3. विकलांग एवं निराश्रित

   इस समूह में ऐसे महिला–पुरूष सम्मिलित रहेंगे जो विकलांग, निराश्रित, वृद्ध या सामाजिक सुरक्षा प्राप्त वर्गों में आते है। ''तकनीकी सहायता दल'' प्रयास करें की इसमें महिला–पुरूषों की समान सहभागिता हो। ऐसे लोगों के निवास पर जाकर भी चर्चा की जा सकती है।

स्थानीय स्वशासन की ईकाइयों के जनप्रतिनिधियों के द्वारा योजनाओं के निर्माण में लोगों की सहभागिता को बढ़ाने के लिये निम्न प्रयास किये जा सकते हैं –

- स्थानीय स्तर पर आरम्भ की जाने समाजिक–आर्थिक विकास की योजनाओं की जानकारी और उससे होने वाले संभावित लाभों की जानकारी अपने वार्ड के प्रत्येक परिवार तक पहुॅचाना,
- योजना के क्रियान्वयन के संबंध में आयोजित होने वाली बैठक की सूचना अपने वार्ड के प्रत्येक परिवार को देना,
- स्थानीय स्तर योजना के संबंध में आयोजित बैठक में लोगों को, विशेष कर महिलाओं और बुजुर्गों को उपस्थित होने के लिये प्रेरित करना,
- बैठक में उपस्थित लोगों के एक समान रूप से बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित करना,
- महिलाओं को उपयुक्त स्थान पर बैठाने की व्यवस्था करना,
- चर्चा के दौरान महिलाओं, बुजुर्गों और समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को बोलने का पूरा मौका देना और उनकी बातों को ध्यान से सुनना,

- योजना से जुड़े आर्थिक मुद्दों पर खुल कर चर्चा करना और वित्त संबंधी सारी जानकारी को लोगों के सामने रखना,
- चर्चा के दौरान महिलाओं, बुजुर्गों और समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के द्वारा रखे गये विचारों (सहमति या असहमति) को बैठक के मिनट्स में उपयुक्त स्थान पर लिखवाना,

जनप्रतिनिधियों के उपरोक्त प्रयासों से स्थानीय स्तर पर लोगों में उनके प्रति विश्वास में वृद्धि होगी और लोग सदैव जनप्रतिनिधियों के सामने अपनी बातों को सहजता और विश्वास के साथ रख सकेंगें।

योजनाओं को बनाने के लिये बैठकों का आयोजन और प्रबंधन

स्थानीय स्वशासन की ईकाइयों के गठन के बाद से उनकी नियमित बैठकों का प्रावधान भी किया गया है। इन बैठकों के माध्यम से ही स्थानीय स्वशासन की ईकाइयों में स्थानीय विकास से संबंधित विभिन्न योजनाओं का निर्माण और और उनके लागू किये जाने के प्रस्ताव पास किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

प्रायः यह अनुभव किया जाता है कि बैठकों की व्यवस्था और उनका संचालन ठीक तरीके से न किये जाने के कारण स्थानीय लोगों की बैठकों में उपस्थिति कम रहती है। इसी कारण से लोगों का स्थानीय स्तर के विकास कामों से जुडाव भी बहुत कम होता है। यह स्थिति लम्बे समय तक बने रहने पर लोगों का स्थानीय स्वशासन की ईकाइयों पर से विश्वास खत्म हो जाने का खतरा बन जाता है। लोगों के स्थानीय स्वशासन की ईकाइयों से विश्वास के समाप्त हो जाने की स्थिति में कई बार कोरम पूरा करने या किसी महत्वपूर्ण प्रस्ताव को पारित कराने के लिये जनप्रतिनिधियों के द्वारा उपस्थिति पंजिका पर लोगों के घरों में जाकर हस्ताक्षर कराने की बातें सुनने में आती हैं।

स्थानीय स्तर पर स्थानीय स्वशासन की ईकाइयों के द्वारा किये जाने वाले विकास के विभिन्न कार्यों और जिला योजना के निर्माण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में लोगों की सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिये यह आवश्यक है कि इन कार्यों के लिये आयोजित की जाने वाली बैठकों का आयोजन व संचालन सही ढ़ंग से किया जाय। कई बार लोगों की व्यस्तताओं के कारण उनकी उपस्थिति कम समय के लिये हो पाती है। ऐसे में बैठकों के आयोजन के पहले उनकी आयोजना करना बहुत महत्वपूर्ण है जिससे बैठकों का वांछित परिणाम प्राप्त किया जा सके।

बैठकों के आयोजन और उनके संचालन के कुछ महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित हैं –

बैठक की प्रक्रिया को स्थापित करना – बैठक का संचालन प्रायः अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है और इसके लिये उसे बहुत सी तैयारियॉ करनी होती हैं। ऐसे में बैठक के संचालन से संबंधित कुछ कार्य अन्य जनप्रतिनिधियों को भी सौंपे जा सकते हैं। ऐसा करने से संस्था के अन्य पदाधिकारियों में भी बैठक के महत्व के प्रति चेतना आयेगी। इसी प्रकार चर्चा के दौरान मिनट्स लिखने की जिम्मेदारी सचिव की होती है। किन्तु चर्चा के दौरान एक बार में कई लोगों के एक साथ बोलने की स्थिति में एक ही व्यक्ति के द्वारा सभी की बातों को लिख पाना

मुश्किल होता है। ऐसे में मिनट्स लिखने संबंधी कार्य में भी कुछ अन्य व्यक्तियों को शामिल किया जा सकता है। इससे बैठक में उनकी उपस्थिति को भी सुनिश्चित किया जा सकेगा।

बैठक का स्थान, तारीख और समय तय करना – बैठक के आयेाजन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण घटक इसके स्थान का है। बैठक के स्थान का चयन इस प्रकार से किया जाना चाहिये जिससे चर्चा में शामिल लोगों को बैठने के लिये पर्याप्त स्थान मिल सके। यहॉ यह ध्यान देना भी जरूरी है कि स्थान इतना बड़ा भी न हो कि कुछ लोग एक कोने में अलग से बैठ कर चर्चा करने लगें। इससे जहॉ एक ओर बैठक में उनकी सहभागिता नहीं होगी वहीं दूसरी ओर उनकी बातों से चर्चा कर रहे लोगों का ध्यान बॅटने की संभावना बनी रहेगी। बैठक का स्थान तय करते समय ही यह भी तय करना चाहिये कि –

- बैठक के स्थान तक सभी का (बुजुर्ग, महिलायें, अनुसूचित जाति व जनजाति के लोग इत्यादि) पहुँचना आसान हो,
- बैठक के दौरान लोगों के बैठने की व्यवस्था एक जैसी हो,
- बैठक में चर्चा के दौरान लोग एक दूसरे को देख सकें,
- चर्चा के दौरान लोग एक दूसरे को सुन सकें,
- बैठक के स्थान पर रोशनी, पानी और शौचालय की व्यवस्था हो,
- बैठक के स्थान के पास गाड़ियों का शोर न हो,

बैठक का स्थान तय करने के बाद बैठक की तारीख को तय किया जाना चाहिये। बैठक की तिथि किसी त्योहार या बाजार–हाट वाले दिन न होकर किसी सामान्य दिन में तय की जानी चाहिये। यद्यपि ऐसा भी देखने में आया है कि कुछ विषय विशेष के संबंध में किसी त्योहार के दिन आयोजित बैठक के परिणाम बहुत अच्छे रहे हैं।

बैठक की तिथि तय करने के साथ ही बैठक का समय भी निर्धारित किया जाना चाहिये। इससे बैठक वाले दिन के नियमित कामों को लोग बैठक के पहले या बाद में करने के लिये पहले से तैयार हो सकेंगे। बैठक के समय का निर्धारण बैठक के उद्देश्य और इस दौरान की जाने वाली चर्चा के आधार पर तय किया जाना चाहिये।

बैठक का एजेंडा तय करना – किसी बैठक के सफल आयोजन का मूल मंत्र उसका सही एजेंडा तय करना होता है। सही एजेंडा तय हो जाने से बैठक के दौरान चर्चा भी एजेंडे पर केन्द्रित होती है।

एक सफल बैठक के आयेाजन के लिये यह भी आवश्यक है कि बैठक के स्थान, तिथि, समय और एजेंडा की जानकारी बैठक में भाग लेने वाले सभी व्यक्तियों को पहले से ही दे दी जानी चाहिये।

बैठक के दौरान चर्चा में लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करना – किसी बैठक के सफल आयोजन के लिये यह बहुत जरूरी है कि बैठक में उपस्थित सभी लोगों को बोलने का मौका दिया। इसके साथ ही इस बात को सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि जब कोई बोल रहा हो तो बाकी लोग उसे सुनें। स्थानीय स्वशासन की ईकाइयों के स्तर पर आयोजित की जाने वाली बैठकों में इन दोनों बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिये।

चर्चा में अनुसूचित जाति व जनजाति के लोग, बुजुर्ग, महिलायें इत्यादि अधिक से अधिक भाग ले सकें इसके लिये आवश्यक है कि उन्हें बोलने के लिये अवसर प्रदान किया जाय। स्थानीय स्तर पर विकास योजनाओं के निर्माण के संदर्भ में आयोजित बैठकों के दौरान जनप्रतिनिधियों को इन लोगों को अपनी बात रखने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। उन्हे रोकने का प्रयास करने पर उनका आत्मविश्वास कम होगा और आगे की चर्चा में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करना संभव नहीं होगा। जनप्रतिनिधियों को इस प्रकार की संभावित बाधाओं से पार पाने के लिये पहले से तैयारी करनी चाहिये।

सामाजिक समावेशन में जन प्रतिनिधियों की भूमिका

समाज के हर वर्ग के लोगों का जिला योजना के निर्माण के हर स्तर पर शामिल किया जाना जिला योजना निर्माण का एक चुनौतीपूर्ण किन्तु महत्वपूर्ण पहलू है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज में भी समेकित विकास की अवधारणा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। विगत वर्षों के अनुभव भी यह बताते हैं कि लोगों के योजना निर्माण से लेकर उनके क्रियान्वयन तक में लोगों की, विशेष कर समाज के कमजोर और पिछड़े वर्ग के लोगों की समुचित भागीदारी न होने के कारण उनकी सामाजिक–आर्थिक परिस्थितियों में बहुत सुधार नहीं हुआ है। समाज के इन लोगों की स्थिति मानव विकास के सूचकांकों के आधार पर बहुत ही पिछड़ी हुई है।

जिला योजना के निर्माण में सामाजिक समावेश के लक्ष्य को पाने में स्थानीय स्वशासन की इकाइयों के सदस्य बहुत कारगर भूमिका निभा सकते हैं। समाज के कमजोर लोगों की समस्याओं और प्राथमिकताओं को तय करने तथा जिला योजना में उन्हें शामिल कराने के संबंध में कार्यनीति के बन जाने के बाद स्थानीय स्वशासन की इकाइयों के सदस्य ग्राम सभा या वार्ड सभा की बैठकों के दौरान उपस्थित होकर इन लोगों की बातों को सही तरीके से रखवाने में सहयोग कर सकते हैं। ऐसा भी देखने में आता है कि मुद्दों की पहचान हो जाने के बाद भी समाज के कमजोर वर्ग के लोगो की बातों को सही तरीके से बैठकों में न रखे जाने के कारण उन पर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है और उसे कार्य योजना का स्वरूप नहीं मिल पाता है। ऐसे में यदि स्थानीय स्वशासन की इकाइयों के सदस्य समाज के कमजोर वर्ग के लोगों की बातों को सही तरीके से रखवाने और उन्हें बैठक की कार्यवाही पुस्तिका में शामिल कराकर उन पर एक ठोस कार्य योजना बनवाने में सहयोग करें तो समाज के कमजोर वर्ग के लोगों का समावेशन योजना निर्माण से उनके क्रियान्वन तक कराने में निश्चित रूप से प्रभावी होगा।

ग्रामीण – शहरी समायोजन

जिला योजना के निर्माण में स्थानीय स्वशासन की इकाइयों के सदस्य अपने अनुभवों के आधार पर ग्रामीण–शहरी विकास के समायोजन में सहयोग कर सकती हैं। आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मानव विकास से जुड़े पहलुओं पर ग्रामीण–शहरी समायोजन से ग्रामीण और शहरी विकास के पूरक तत्वों को पहचानने में मदद मिलेगी तथा इसके साथ ही समस्याओं को तेजी से हल करने में भी मदद मिलेगी।

जेंड़र संवेदनशीलता को सुनिश्चित करना

समाज में पिछड़े और वंचित वर्ग के लोगों का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि महिलाओं की स्थिति विकास के प्रत्येक सूचक पर पिछड़ी ही बनी हुयी है। महिलाओं में शिक्षा का स्तर देश के अधिकांश राज्यों में बहुत कम है। मध्य प्रदेश में भी महिलाओं में साक्षरता की दर 50.30% है जो राज्य के पुरूषों की साक्षरता दर 76.7% की तुलना में बहुत कम है। राज्य में अनुसूचित जाति की महिलाओं में साक्षरता की दर 43.28% और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं में यह दर 28.44% की है। ऐसे में राज्य की महिलाओं के विकास के चित्र का सहज अंदाज लगाया जा सकता है। शिक्षा के साथ–साथ महिलाओं के स्वास्थ्य और उनकी आजीविका भी ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर जिला योजना के निर्माण के दौरान विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है।

इसके अतिरिक्त स्थानीय स्तर पर योजनाओं के बेहतर निर्माण और उनके क्रियान्वयन को बढ़ावा देने के लिये निम्नलिखित प्रयास किये जाने चाहिये–

- गांव के विकास के लिए कम समय की योजना तैयार करायें और उसमें लोगों की भागीदारी हर स्तर पर सुनिश्चित करायें।
- सहभागी विकास एवं पारदर्शिता को अवश्य सुनिश्चित करें जैसे कितना कार्य हुआ जिसमें सरकार का अनुदान समाज का अनुदान कितना रहा।
- गांव में सभी जन्म एवं मृत्यु व विवाह का पंजीकरण सुनिश्चित करायें। इसे एक सामाजिक दायित्व की तरह देखें
- पंचायतीराज अधिनियमों के तहत अपने कर्तव्यों और अधिकारों के बारे में पूर्ण जानकारी रखें।
- गांव सभा के लोगों में, विशेषकर महिलाओं में उनके सामाजिक तथा संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करें।
- जमीन व पट्टे में महिला के नाम को शामिल करवाने के प्रति लोगों को जागरूक करें और इसे लागू करने में लोगों का सहयोग करें।
- शासन की तरफ से आने वाले कार्यक्रमों के बारे में पूर्ण जानकारी रखें तथा उसे गांव के सभी लोगों को बतायें, बालिकाओं व किशोरियों, बुजुर्गों, विधवा एवं अन्य व्यक्तियों से संबंधित योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करें। संभव हो तो उसे पंचायत भवन पर लिखवा दें।

- स्थानीय स्तर के बुनियादी उद्योगों को बढ़ावा दें। आप सृजन एवं व्यवसायिक प्रशिक्षणों में भाग लेने के लिए गांव के लोगों को प्रेरित करें और इस तरह के प्रशिक्षण गांव स्तर पर शुरूआत करायें। गांव के बुनियादी उद्योगों के बारे में नौजवानों को प्रशिक्षित करायें और उन्हें प्रेरित करें कि आप इनके माध्यम से अपनी पहचान बना सकते हैं।
- गांव के सभी वर्गों, विशेषकर महिलाओं एवं कमजोर वर्गों की विकासीय कार्यक्रमों का पूर्ण लाभ उठाने हेतु प्रोत्साहित करें एवं उसे सुनिश्चित करें।
- महिलाओं, किसानों, युवकों तथा युवतियों को संगठित कर गांव के विभिन्न समितियों का सदस्य बनायें तथा उन्हें विभिन्न कार्यों व निर्णय की प्रक्रियाओं में सक्रिय भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें। साथ ही, उनको छोटे–छोटे समूह में बचत योजना के प्रति जागरूक करें।
- महिलाओं, युवाओं, किसानों के लिए परामर्श केन्द्र की स्थापना कराने का प्रयास करें।
- अपने गांव में एक ऐसा समूह तैयार करें जो ग्राम पंचायत की योजनाओं एवं जानकारियों को देने हेतु कार्य करें साथ ही, उन योजनाओं का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण भी करें।
- ऐसी योजना को अवश्य सूचीबद्ध करें जिन्हें बिना किसी आर्थिक सहयोग के गांव के सहयोग से पूरा किया जा सकता है।
- महिलाओं, किसानों एवं युवकों/युवतियों के संगठनों को पंजीकरण कराने में सहयोग करें।

प्रशिक्षण सामग्री

(स्थानीय नगरीय निकायों के सदस्यों के लिये)

स्थानीय स्थिति का विश्लेषण

अजयगढ़ पन्ना जिले की एक नगर पंचायत है जिसकी जनसंख्या 15,000 है और उसमें 15 वार्ड है। अजयगढ़ घाटी में स्थित एक शहर है और चारों तरफ से पहाड़ों एवं जंगलों से घिरा हुआ है। अन्य नगर पंचायतों की तरह यहां पर पानी के लिये बहुत अधिक कुएं हैं एवं निजी नल कनेक्शन तकरीबन 20–30 प्रतिशत और निजी शौचालय तकरीबन 40 प्रतिशत ही है।

शहर में नालियों की बहुत कमी है एवं 20 प्रतिशत घरों में ही पक्की नालियां हैं। अधिकतर घरों के आस–पास पानी फैला रहता है व बारिश के पानी का जमाव एक बड़ी समस्या है। शहर के तकरीबन 20 प्रतिशत क्षेत्र में बरसात के मौसम में एक महीने से अधिक तक पानी का जमाव रहता है।

शहर में बहुत गरीबी है। पहले लोग जंगलों से लघु उत्पाद इकट्ठा करके अपना जीवन–यापन करते थे लेकिन अब जंगल शहर से बहुत दूर हो गये हैं और लघु उत्पाद भी कम हो गये हैं इस वजह से लोगों की जीविका में बहुत कमी आयी है। शहर में रोजगार के बहुत कम साधन है । शहर में 4–5 बड़े तालाब हैं जो कि पिछले कुछ सालों में बहुत सूख गये हैं।

इसी प्रकार मध्य प्रदेश के गुना जिले के आंकड़ों का विश्लेषण करें तो यह पाते हैं कि पूरे प्रदेश में मानव विकास के आधार पर यह 36वें स्थान पर है तथा जेण्डर आधारित विकास में 40वें स्थान पर हैं। प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर लगभग 55 हजार की जनसंख्या आश्रित है। जिले में लगभग 59 प्रतिशत जमीन पर खेती हो पाती है।

ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो बताते हैं कि आजादी के बाद विकास की विभिन्न योजनाओं को चलाये जाने के बाद भी उनका लाभ स्थानीय स्तर पर लोगों को नहीं मिल पा रहा है। यह पाया गया कि सरकार की योजनाओं के बनने से लेकर उनके क्रियान्वयन में लोगों का जुड़ाव न होने और इस वजह से रूचि न होने के कारण लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इन बातों के साथ ही लोगों के सरकार तक पहुँच की समस्या भी महसूस की गयी।

स्रकार तक लोगों की पहुँच बनाने और व्यवस्था में लोगों की भागीदारी को बढ़ा कर उनके विकास को सुनिश्चित करने के लिये संविधान में कुछ संशोधन भी किया गया। संविधान के इन संशोधनों के आधार पर अब विकास का लाभ लेना लोगों के हाथ में आ गया है।

सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों के संबंध में मध्य प्रदेश की स्थिति

क्र म	सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य	राष्ट्रीय विकास लक्ष्य	मध्य प्रदेश की स्थिति
1	गरीबी एवं भुखमरी को खत्म करना– 50 रुपये प्रतिदिन से कम पर जीवन–यापन करने वाले लोगो की संख्या को आधा किया जाये। भुखमरी की कगार पर पहुंचे जनसंख्या के अनुपात को आधा किया जाये।	गरीबी के अनुपात को 2007 तक 5 प्रतिशत और 2012 तक 15 प्रतिशत कम करना।	प्रदेश में 38.3 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करती है। जबकि देश में यह आंकड़ा 27.5 प्रतिशत है। राज्य में प्रति व्यक्ति खाने पर औसतन 128.60 रुपये प्रतिमाह खर्च होता है। राज्य में 3 वर्ष तक की आयु के 60.3 प्रतिशत बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, जो कि गरीबी का लक्षण है।
2	यह सुनिश्चित करना कि वैश्विक स्तर पर सभी बालक–बालिकाएं अभी प्राथमिक स्कूली शिक्षा पूरी कर सके।	2005 तक सभी बच्चों का शाला में नामांकन एवं यह सुनिश्चित करना कि वर्ष 2007 तक सभी बच्चे कम से कम 5 साल की अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करे।	वर्ष 2006 में शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य अनुपात 1:48 है। प्रदेश के 46.89 प्रतिशत शिक्षक अप्रशिक्षित हैं। राज्य में 32 प्रतिशत स्कूलों में केवल एक ही शिक्षक उपलब्ध हैं। वहीं 33. 75 प्रतिशत स्कूलों में महिला शिक्षिका नहीं है। 6 प्रतिशत बच्चों का प्राथमिक शिक्षा हेतु स्कूल में पंजीयन तक नही हो पाता। प्राथमिक स्कूलों में पंजीकृत 85 प्रतिशत बालिकायें सेकेण्ड्री स्कूल तक नही पहुंच पाती। 34 प्रतिशत स्कूल पक्के नहीं हैं और 9.39 प्रतिशत स्कूल एक ही कक्ष में लग रहे हैं। प्राथमिक पर एवं प्राथमिक स्तर से ऊपर 20 प्रतिशत बच्चे बीच में ही स्कूल छोड़ देते हैं जिसमें लड़कियों की संख्या कहीं अधिक है।
3	लैंगिक समानता व महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना–लैंगिक असमानता की वरीयता स्तर पर 2005 तक समाप्ति तथा हर स्तर पर 2015 तक पूर्ण समाप्ति।	2007 तक साक्षरता व मजदूरी में लैंगिक असमानता को कम से कम 50 प्रतिशत तक कम किया जाये।	9 वीं से 12वीं कक्षा तक कुल 36.54 प्रतिशत बालिकाओं का ही पंजीकरण हो सका (30 सितम्बर 2005 तक)। कुल 38.16 प्रतिशत महिला शिक्षक हैं। राज्य में 33.34 प्रतिशत शालाओं में महिला शिक्षक नहीं है। राज्य के 12 विश्वविद्यालयों में से एक में भी महिला कुलपति नहीं है।
4	बाल मृत्युदर कम करना– 5 साल से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर को दो तिहाई (यदि 100 है, तो 33	शिशु मृत्यु दर को 2007 तक प्रति एक हजार में 45 एवं वर्ष 2012 तक 28 किया जाए।	नवजात शिशु की मृत्यु दर एक हजार पर 72 है। 2 वर्ष तक के 22.4 प्रतिशत बच्चों को ही सभी बीमारियों से बचाव के टीके

क्रम	सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य	राष्ट्रीय विकास लक्ष्य	मध्य प्रदेश की स्थिति
	पर लाना) कम करना।		लग पाते हैं। राज्य में 69,238 आंगनवाड़ी केन्द्र हैं जिसमें से 49206 ही कार्यशील हैं राज्य में प्रत्येक 5 मिनट में 1 बच्चे की मृत्यु होती है। 0 से 4 वर्ष के आयु वर्ग के 37 प्रतिशत बच्चे भूख के कारण दम तोड़ देते हैं। कुपोषितों का 54 प्रतिशत से बढ़कर 60.3 प्रतिशत हो गया है।
5	मातृत्व स्वास्थ्य सुधार – मातृत्व मृत्यु दर को 75 प्रतिशत (यदि 100 है तो 25 करना) कम करना	2007 तक प्रति एक हजार जच्चगी में मातृत्व मृत्यु दर को दो एवं 2012 तक एक करना।	मातृ मृत्यु दर 379/100000 है। राज्य में लगभग प्रतिवर्ष 7000 महिलाओं की मृत्यु प्रसव के दौरान होती है। संस्थागत प्रसव – 29.7 प्रतिशत (एन. एफ.एच.एस) गरीब परिवारों में केवल 17 प्रतिशत परिवारों को ही डॉक्टर या प्रशिक्षित स्वास्थ्य सुविधादाता की सुविधा प्राप्त होती है। ग्रामीण अस्पतालों में कुल 9300 पलंग उपलब्ध हैं अतः 5.6 गांवों पर 1 बिस्तर उपलब्ध है। अनुसूचित जाति की 70.3 प्रतिशत महिलायें एनीमिक हैं।
6.	एच.आईवी./एड्स मलेरिया तथा अन्य खतरनाक बीमारी के खिलाफ संघर्ष इनके लक्षणों को पता करना तथा कम करने का प्रयास करना।	अत्यधिक खतरनाक बीमारी वाले समूहों का लक्ष्य कर हस्तक्षेप द्वारा 80 प्रतिशत कवरेज। 90 प्रतिशत स्कूलों एवं महाविद्यालयों में शैक्षणिक कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों का शिक्षित करना। ग्रामीण क्षेत्र के 80 प्रतिशत सामान्य लोगों में जागरूकता बढ़ना। रक्त के संरचण द्वारा होने वाली बीमारियों को कम से कम एक स्वैच्छिक प्रशिक्षण एवं सूचना केन्द्र स्थापित करना। वर्ष् 2007 तक एच.आई.वी/एड्स की बढ़ोत्तरी 8 स्तर प्री–वैल्यू तक जाना।	60 प्रतिशत से अधिक आबादी मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में निवास करती है विशेषकर आदिवासी जिलों में। देश के कुल मलेरिया केसों में से 24 प्रतिशत केस मध्य प्रदेश में होते हैं जबकि देश में मलेरिया से होने वाली कुल मृत्यु में से 20 प्रतिशत मृत्यु मध्यप्रदेश में होती है। मध्य प्रदेश में ग्रामीण परिवारों में से 90.4 प्रतिशत परिवारों के पास शौचालय सुविधा उपलब्ध नहीं है। मध्य प्रदेश के एच.आई.वी प्रभावितों के आंकड़ों पर नजर डालें तो इनमे से 72 प्रतिशत पुरूष एवं 28 प्रतिशत महिलायें हैं। 85 व्यक्ति/100 हजार टी.बी. से प्रभावित है।

क्रम	सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य	राष्ट्रीय विकास लक्ष्य	मध्य प्रदेश की स्थिति
7.	पर्यावरण संतुलन– देश में टीकाऊ विकास के लिए पर्यावरण संरक्षण संबंधी कार्यक्रम चलाना। वर्तमान में स्वस्थ शुद्ध जल न पीने वालों की संख्या को घटकर आधी करना। 2020 तक करीब 10 करोड़ झुग्गी–झोपड़ी वासियों के जीवन स्तर में सुधार करना।	देश में जंगलों तथा वृक्षों की संख्या 2007 तक 12 प्रतिशत और 2012 तक 33 प्रतिशत करना। 2007 तक शहर की बड़ी प्रदूषित नदियों को साफ करना तथा अन्य को 2012 तक साफ करना।	राज्य में लगभग 38 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास पीने योग्य पानी नहीं है। राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल योजना और सेक्टर रिफार्म प्रोजेक्ट के परिणाम उत्साह जनक नहीं है मध्य प्रदेश शासन 156.35 करोड़ राशि को कम कर रहा है। राज्य के 22 जिलों में भूमिगत जल का स्तर 2 से 4 मीटर नीचे पहुंच गया है। राज्य में 30.71 प्रतिशत वन क्षेत्र है लेकिन करीब 70 प्रतिशत बिगड़े वन है।

उपरोक्त तालिका के आधार पर स्थानीय स्वशासन की ईकाइयों के जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों की स्थिती का आकलन कर सकते हैं।

संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के बाद भारतीय संविधान में अध्याय 9 और 9 (ए) को जोड़ा गया। इसके अनुसार स्थानीय स्तर पर क्रमशः ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी क्षेत्र में स्थानीय शहरी निकायों के गठन का प्रावधान किया गया है। 74वें संविधान संशोधन के अनुसार जिले के स्तर पर बनायी जाने वाली जिला योजना समितियों की एक प्रमुख जिम्मेदारी यह होगी कि उनके द्वारा जिले की विभिन्न पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय शहरी निकायों के द्वारा तैयार की वार्षिक योजनाओं का समेकन कर जिला योजना का निर्माण किया जाय।

संविधान के अनुच्छेद 243 छ और 243 ब के अनुसार क्रमशः पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय नगरीय निकायों को 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची में दिये गये विषयों के संबंध में योजनाओं को बनाने का कार्य सौंपा गया है (संलग्नक)। इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 243 य घ में देश के प्रत्येक राज्य के सभी जिलों में जिले के स्तर पर एक जिला योजना समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। इस जिला योजना समिति के द्वारा स्थानीय सरकारों (ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी क्षेत्र में स्थानीय शहरी निकायों) के सबसे निचले स्तर (ग्राम सभा/वार्ड सभा) से शुरू होकर जिले के स्तर तक के नियोजन को समेकित किया जाता है तथा उसे जिला योजना का स्वरूप दिया जाता है।

मध्य प्रदेश में वर्तमान में 50 जिले हैं जिनमें कुल 313 जनपद पंचायत, 23051 ग्राम पंचायतें, लगभग 52 हजार ग्राम सभायें और 338 नगरीय निकाय (14 नगर निगम, 87 नगर पालिका परिषद् और 237 नगर पंचायत) हैं। इतने बड़े राज्य में नियोजन की प्रक्रिया को पूरा करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। इसको ध्यान में रखते हुये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा नियोजन का एक ढ़ांचा तैयार किया गया है। इसे मध्य प्रदेश में नियोजन का संरचनात्मक ढ़ांचा भी माना जा सकता है।

मध्य प्रदेश में नियोजन की संरचनात्मक व्यवस्था

मध्य प्रदेश में विकेन्द्रीकृत नियोजन की व्यवस्था को साकार करने के उद्देश्य से राजय सरकार के द्वारा राज्य के स्तर पर एक संरचना तैयार की गयी है। इस संरचना में राज्य योजना आयोग के सहयोग से जिला योजनाओं को विकेन्द्रीकृत पद्धति से तैयार करने का कार्य किया जाना है। राज्य में नियोजन की वर्तमान व्यवस्था को चित्र के माध्यम से दिखाया गया है।

मध्य प्रदेश में नियोजन की वर्तमान व्यवस्था

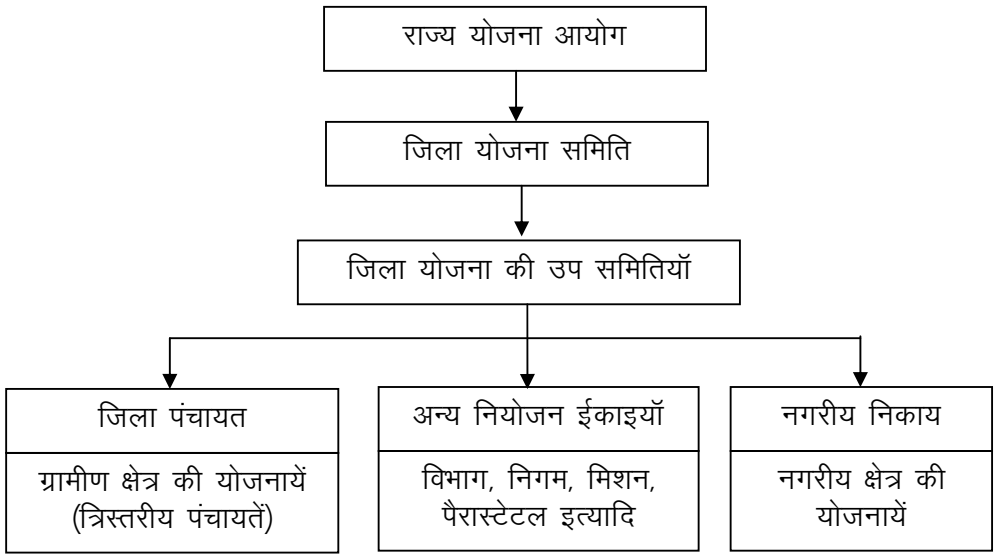

राज्य सरकार के द्वारा संविधान की मंशा के अनुसार जिले स्तर पर जिला योजना समिति को शीर्ष ईकाई के रूप में मान्यता दी है। जिला योजना समिति ही ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र की योजनाओं को समेकित कर जिला योजना तैयार करेगी। ग्रामीण क्षेत्र की योजनाओं को तैयार करवाने की जिम्मेदारी जिला पंचायत की होगी। यहॉ महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसी सभी नियोजन ईकाइयॉ जो सीधे जिला पंचायत के प्रति जवाबदेह नहीं हैं (विभाग, निगम, मिशन,

पैरास्टेटल इत्यादि) उनके द्वारा भी अपनी योजनाओं को तैयार कर जिला योजना समिति को दिया जाना है।

ग्रामीण विकास से जुड़े निगम, मिशन, पैरास्टेटल इत्यादि	शहरी विकास से जुड़े निगम, मिशन, पैरास्टेटल इत्यादि
सर्व शिक्षा अभियान	जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय पुनर्नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.)
राजीव गॉधी जल ग्रहण मिशन	मध्य प्रदेश गृह निर्माण मण्डल
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वस्थ्य मिशन	ग्राम एवं नगर निवेश संगठन
राजीव गॉधी कम्प्युटर साक्षरता मिशन	प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
राष्ट्रीय बागवानी मिशन	शहरी विकास प्राधिकरण
इस प्रकार के अन्य अभियान	इस प्रकार के अन्य संस्थान

किन्तु यहॉ पर एक प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि सरकार के द्वारा इतने व्यापक पैमाने पर व्यवस्था किये जाने के बाद भी मध्य प्रदेश का अधिकांश हिस्सा या यहॉ रहने वाले अधिकांश लोग विकास की प्रक्रिया में बहुत पिछड़े दिखायी देते हैं। मध्य प्रदेश के लोगों को विकास की योजनाओं का लाभ नहीं मिला इसके बहुत से कारण हो सकते हैं किन्तु बिना इन कारणों को ठीक प्रकार से समझे स्थानीय स्तर पर विकास के लक्ष्य को नहीं पाया जा सकता है।

इन कारणों को समझने के लिये यह आवश्यक है कि स्थानीय स्तर की योजना को बनाने के पहले हम अपने स्थानीय स्थिति का विश्लेषण करें। विश्लेषण के दौरान हम निम्नलिखित प्रश्नों पर चिार करें और उसके बाद सभी के प्रयासों से इनके उत्तर को जानने का प्रयास करें। स्थानीय विकास के संबंध में कुछ प्रश्न निम्नलिखित हो सकते हैं–

- क्या हमारे शहर के सभी लोगों को रोजगार के समुचित अवसर मिल रहे हैं?
- क्या हमारे शहर के सभी लागों को पीने का शुद्ध पानी मिल पा रहा है?
- क्या शहर की सड़कों पर रात में रोशनी की व्यवस्था हो रही है?
- क्या हमारे शहर में ठोस कचरे का समुचित प्रबन्धन हो रहा है?
- क्या हमारे शहर में कच्ची बस्तियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है?
- क्या हमारे शहर के सभी बच्चों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा मिल पा रही है?
- क्या हमारे शहर की सभी लड़कियों का विद्यालय में नामांकन हो रहा है?

- क्या हमारे शहर में उपलब्ध सभी संसाधनों (मानव, प्राकृतिक, तकनीकी इत्यादि) का स्थानीय विकास में समुचित उपयोग हो पा रहा है?
- क्या हमारे शहर में सभी प्रसव संस्थागत तरीके से हो रहे हैं?
- क्या हमारे शहर में होने वाली बिमारियों और उनसे होने वाली मौत में कमी आ रही है?

इस प्रकार के प्रश्नों को पूछने और उन पर विचार करने से स्थानीय स्तर की समस्याओं पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जा सकता है। इन प्रश्नों पर विचार करने से स्थानीय स्तर की कुछ मजबूतियों (ताकतों) को जाना जा सकेगा। इसी प्रकार इन प्रश्नों के विश्लेषण से कुछ ऐसी कमियों के बारे में भी जानकारी मिल सकेगी जिनको दूर करके विकास की गति को और तेजी से बढ़ाया जा सकेगा। इस प्रकार के विश्लेषण को हम स्थिति–विश्लेषण कहते हैं। इसे प्रबंधन की भाषा में स्वॉट (SWOT) विश्लेषण भी कहते हैं।

स्वॉट विश्लेषण प्रायः संस्थागत विकास के संदर्भ में किया जाता है। स्वॉट शब्द अंग्रेजी के चार शब्दों Strength (ताकत), Weakness (कमजोरी), Opportunity (अवसर), और Threath (खतरा), के प्रारम्भिक अक्षरों से मिल कर बना है। यदि जिले या गॉव/शहर को एक संस्था के रूप में देखा जाय विकास के परिप्रेक्ष्य में इनके विश्लेषण की आवश्यकता हो तो इनका भी स्वॉट विश्लेषण उसी प्रकार से किया जा सकता है जिस प्रकार से किसी संस्था का स्वॉट विश्लेषण होता है।

स्वॉट विश्लेषण को करने से पहले यह आवश्यक है कि उस पर एक व्यापक समझ बनायी जाय। ताकत और कमजोरी जिले या शहर के अंदर की चीजें हैं। किसी गॉव की ताकत किसी जिले या शहर में जन, जानवर, जल, जंगल, जमीन इत्यादि उसके ताकत से जुड़े पहलू हैं। किन्तु एनीमिया से ग्रस्त महिलायें, कुपोषित बच्चे, अनपढ़ युवक और युवतियॉ, जिले या शहर की कमजोरियॉ हैं।

इसी प्रकार अवसर और खतरा बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं। किसी जिले या ाहर के लिये शहरों की कच्ची बस्ती उन्नयन कार्यक्रम, किसी उद्योग का आरम्भ इत्यादि अवसर के रूप में देखे जा सकते हैं। इसी प्रकार बाढ़ या सूखे की विभिषिका, सरकार की नीतियों में परिवर्तन के कारण सामाजिक कल्याण की योजनाओं का समापन, काम के अभाव में लोगों का पलायन इत्यादि को संभावित खतरों के रूप में देखा जा सकता है।

स्थानीय विकास की योजनाओं को बनाते समय संबंधित जिले या गॉव/शहर का स्वॉट विश्लेषण एक ऐसी तस्वीर सामने रखता है जिसके आधार पर योजनाओं का निर्माण सहजता से किया जा सकता है।

गोपालपुर नगर पंचायत का स्वॉट विश्लेषण

ताकत	कमजोरी	अवसर	खतरा
• शहर का रेलवे लाइन के पास स्थित होना • शहर में सब्जी मंडी का निर्माण, • पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज,	• कचरे की वजह से फैलने वाली बिमारियॉ • गंदे पानी की निकासी न होने स्टेशन के पास जल जमाव • महिलाओं के लिये सुरक्षित माहौल की कमी	• कच्ची बस्ती उन्नयन के लिये सरकार की योजना • संविधान के द्वारा स्थानीय सरकारों को सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने का अधिकार,	• शहर का अनियन्त्रित होने से यातायात की समस्या

स्वॉट विश्लेषण के चरण और सावधानियाँ

किसी जिले या शहर का स्वॉट विश्लेषण सहभागी तरीके से ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ किया जाना चाहिये। विश्लेषण के सहभागी और सही तरीके से न होने पर जिले या शहर की वास्तविक स्थिति का ऑकलन करना बहुत कठिन होगा और आगे चल कर यह योजनाओं के निर्माण में समस्या पैदा करेगा जिससे योजनाओं का लाभ केवल कुछ लोगों तक ही सीमित रह जाने की संभावना बढ़ जायेगी।

स्वॉट विश्लेषण करते समय कुछ सावधानियों को बरतना चाहिये जिससे विश्लेषण सही प्रकार से किया जा सके और वांछित लक्ष्यों को सहजता से पाया जा सके। स्वॉट विश्लेषण के समय बरती जाने वाली कुछ सावधानियॉ निम्नलिखित हैं –

- स्वॉट विश्लेषण से जुड़े सभी व्यक्तियों में स्थानीय विकास से जुड़ी आन्तरिक एवं बाहरी स्थिति की पूर्ण एवं स्पष्ट जानकारी होनी चाहिये,
- विश्लेषण के दौरान सभी पहलुओं पर गहन चर्चा की जानी चाहिये,
- विश्लेषण सच्चाई, ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ किया जाना चाहिये,
- भविष्य की कार्य योजना पर बन जाने पर उसे अमल में लाने के लिये कार्य जल्दी से शुरू करने का प्रयास करना चाहिये।

प्राथमिकताओं का निर्धारण

स्थानीय स्तर पर विकास के संबंध में विश्लेषण कर लेने के बाद यह आवश्यक है कि समस्याओं की सूची तैयार कर ली जाय। इस सूची के बन जाने के बाद समस्याओं की प्राथमिकता को निर्धारित किया जा सकेगा। प्राथमिकता का निर्धारण हो जाने के बाद स्थानीय स्तर पर योजना को बनाना आसान होगा।

बेहतर होगा कि स्थानीय स्तर पर आयोजना करते समय कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को स्थानीय स्तर पर नियमित रूप से इकठ्ठा किया जाय और उन पर भी चर्चा की जाय। ग्राम पंचायतों के द्वारा अपने पंचायत घर के सामने गांव से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़ों को संकलित कर उसे अवश्य प्रदर्शित किया जाना चाहिये। जैसे –

- शहर की कुल जलसंख्या
- बच्चों की संख्या
- स्कूलों की संख्या
- अस्पतालों की संख्या
- स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या
- स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या
- गर्भवती महिलाओं की संख्या
- गर्भवती महिलाओं की प्रसव के दौरान मृत्यु की संख्या
- पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या
- पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु की संख्या
- शहर की जमीन का रकबा
- शहर के अन्तर्गत सरकारी सम्पत्तियों की संख्या
- शहर में कुल कितने हैण्डपंम्प हैं और कितने खराब हैं उसकी संख्या
- शहर में शौचालयों की संख्या

स्थानीय स्तर पर योजना का निर्माण करते समय कुछ आधारभूत बिन्दुओं पर ध्यान देने की जरूरत है जिससेयोजना को वास्तविकता के आधार पर बनाया जा सके। योजना के निर्माण के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को निम्न प्रकार से देखा जा सकता है –

- लक्ष्यों की पहचान और उनका प्राथमिकीकरण
- संसाधनों की पहचान और उन्हें लक्ष्यों से जोड़ना
- दूसरी संस्थाओं/ योजनाओं से जुड़ाव
- आयोजना के अनुरूप क्रियान्वयन

लक्ष्यों की पहचान और उनका प्राथमिकीकरण

स्थानीय स्तर पर योजना बनाते समय बेहतर यह होगा कि सबसे पहले तो स्थानीय स्तर पर एक विजन दस्तावेज तैयार किया जाय। निश्चित रूप से यह विजन दस्तावेज भविष्य को ध्यान में रखकर स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं पर आधारित होना चाहिये। यह संभव है कि किसी क्षेत्र विशेष में आजीविका और रोजगार की समस्या ज्यादा प्रभावी हो जबकि पास के किसी क्षेत्र में स्वास्थ्य की समस्या को ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाय। ऐसी स्थिति में दोनों ही क्षेत्रों में योजनाओं के निर्माण लक्ष्य भिन्न–भिन्न होंगे।

वर्तमान समय में बहुत से राज्यों में जिला स्तर पर मानव विकास प्रतिवेदनों का निर्माण किया जा रहा है। स्थानीय स्तर पर विजन दस्तावेजों के निर्माण के दौरान इन मानव विकास की रिपोर्टों को सामने रख कर भविष्य के लक्ष्य निर्धारित किये जाये तो बेहतर होगा। इसी प्रकार विजन दस्तावेज के निर्माण में सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिये। मानव विकास प्रतिवेदन और सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों की वर्तमान स्थिति के आधार पर स्थानीय स्तर पर लक्ष्यों का प्राथमिकीकरण करके योजनाओं का निर्माण किया जा सकता है।

संसाधनों की पहचान और उन्हें लक्ष्यों से जोड़ना

योजना निर्माण करने के उपरान्त उसे सही ढ़ंग से क्रियान्वित करने के लिये यह आवश्यक है कि योजना के क्रियान्वयन के लिये आवश्यक संसाधनों की भी पहचान कर ली जाय। इन संसाधनों में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधन जैसे प्राकृतिक, मानवीय, आर्थिक संसाधन शामिल हैं। जितने ज्यादा संसाधन स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होंगे योजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान दूसरों पर निर्भरता उतनी ही कम होगी और अपने संसाधनों को उपयोग करने संबंधी निर्णय लेने में उतनी ही सुविधा होगी।

यहॉ यह बात ध्यान देने की है कि योजना निर्माण के समय स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों के साथ ही आस–पास उपलब्ध संसाधनों के उपयोग पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसा न होने पर कई बार संसाधनों का उपयोग ऐसी सुविधाओं के लिये किया जाता है जो पास मे पहले से उपलब्ध तो हैं किन्तु उनकी क्षमता का समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है।

जहॉ तक आर्थिक संसाधनों का प्रश्न है तो वर्तमान में केन्द्र व राज्य सरकार के द्वारा अलग–अलग क्षेत्रों के विकास के लिये विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। सरकार की इन विभिन्न योजनाओं में उपलब्ध राशि का उपयोग जिला स्तरीय योजना के निर्माण में किया जाना चाहिये। ऐसे जिले जहॉ क्षेत्र विशेष के आधार पर धनराशि आ रही है (उदाहरण के लिये पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष) वहॉ इन संसाधनों का इस प्रकार किया जाना चाहिये जिससे पूॅजी निवेश का दीर्घकालिक लाभ क्षेत्र के लोगों को मिल सके।

दूसरी संस्थाओं/ योजनाओं से जुड़ाव

योजनाओं के निर्माण के समय इस बात का ध्यान रखना भी आवश्यक है जिले में सरकारी प्रयासों के अतिरिक्त विकास से जुड़े अन्य किस प्रकार के गैर सरकारी प्रयास हो रहे हैं। वर्तमान अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र के उद्यमियों के द्वारा अनेक प्रकार के उद्योग और संस्थानों की स्थापना की जा रही है।योजना के निर्माण के दौरान इन उद्योगों और संस्थानों को ध्यान में रखकर योजनाओं का निर्माण किया जा सकता है। बेहतर तो यह होगा कि योजना निर्माण की प्रक्रिया में इन उद्योगों और संस्थानों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाय जिससे उनके विचारों को भी सुना जा सके और जिले के विकास में उनकी भूमिका को सुनिश्चित किया जा सके।

आयोजना के अनुरूप क्रियान्वयन

योजना के निर्माण के बाद उसका सही तरीके से क्रियान्वयन जिला योजना का एक और महत्वपूर्ण सूत्र है। मुख्य रूप से यह कार्य स्थानीय स्वशासन की इकाईयों का है किन्तु स्थानीय नागरिक होने के नाते सभी लोगों की यह जिम्मेदारी बनती है उनके द्वारा योजना के क्रियान्वयन के संबंध में पूरी जानकारी मॉगी जाय। इससे योजना के क्रियान्वयन का कार्य करने वाली संस्था के काम में आरम्भ से ही पारदर्शिता बनी रहेगी और उसके द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का लाभ सही व्यक्ति को उचित गुणवत्ता के आधार पर मिलेगा।

इस कार्य के लिये स्थानीय स्वशासन की इकाईयों के द्वारा भी नियमित रूप से बैठकों का आयोजन करके लोगों को योजना में होने वाली प्रगति से अवगत कराया जा सकता है। इस प्रकार की बैठकों का आयोजन नियमित रूप से या आवश्यकता पड़ने पर भी किया जा सकता है।

कार्यों को पूरा करने के लिये आवश्यक सहयोग और उनकी पूर्ति

स्थानीय स्तर पर विकास के लक्ष्यों को पाने में जहॉ बहुत सी दिक्कतें आती हैं वहीं इस बात को समझने की भी आवश्यकता है कि स्थानीय स्तर पर विकास के लक्ष्यों को पाना आसान भी है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखें तो वर्तमान समय में राज्य सरकार के क्षरा किय जा रहे विभिनन पायों के कारण इन्हें पाना बेहद आसान हो गया है। राज्य सरकार के द्वारा विकेन्द्रीकृत तरीके से जनसहभागिता के आधार पर किये जा रहे जिला योजना के निर्माण कार्य से स्थानीय स्तर पर योजनाओं को लागू करने का भी प्रयास किया जा रहा है।

वर्तमान प्ररिप्रेक्ष्य में जिला स्तरीय नियोजन

संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के बाद भारतीय संविधान में अध्याय 9 और 9 (ए) को जोड़ा गया। इसके अनुसार स्थानीय स्तर पर क्रमशः ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी क्षेत्र में स्थानीय शहरी निकायों के गठन का प्रावधान किया गया है। 74वें संविधान संशोधन के अनुसार जिले के स्तर पर बनायी जाने वाली जिला योजना समितियों की एक प्रमुख जिम्मेदारी यह होगी कि उनके द्वारा जिले की विभिन्न पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय शहरी निकायों के द्वारा तैयार की वार्षिक योजनाओं का समेकन कर जिला योजना का निर्माण किया जाय।

संविधान के अनुच्छेद 243 छ और 243 ब के अनुसार क्रमशः पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय नगरीय निकायों को 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची में दिये गये विषयों के संबंध में योजनाओं को बनाने का कार्य सौंपा गया है (संलग्नक)। इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 243 य घ में देश के प्रत्येक राज्य के सभी जिलों में जिले के स्तर पर एक जिला योजना समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। इस जिला योजना समिति के द्वारा स्थानीय सरकारों (ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी क्षेत्र में स्थानीय शहरी निकायों) के सबसे निचले स्तर (ग्राम सभा/वार्ड सभा) से शुरू होकर जिले के स्तर तक के नियोजन को समेकित किया जाता है तथा उसे जिला योजना का स्वरूप दिया जाता है।

मध्य प्रदेश में शहरी नियोजन की संरचनात्मक व्यवस्था

74वें संविधान संशोधन के अनुसार स्थानीय नगरीय निकाय अपने आप में एक स्ववंत्र ईकाई है। किसी भी जिले की विभिन्न नगरीय निकायों की योजनाओं को समेकित करने की जिम्मेदारी जिला योजना समिति की होगी। नगरीय निकायों के संदर्भ में राज्य में नगर नियोजन की

संरचना वार्ड के स्तर तक तय की गयी है। नगर निगमों में यह संरचना क्षेत्र सभा/ मुहल्ला सभा समिति तक होगी।

मध्य प्रदेश में शहरी नियोजन की संरचनात्मक व्यवस्था

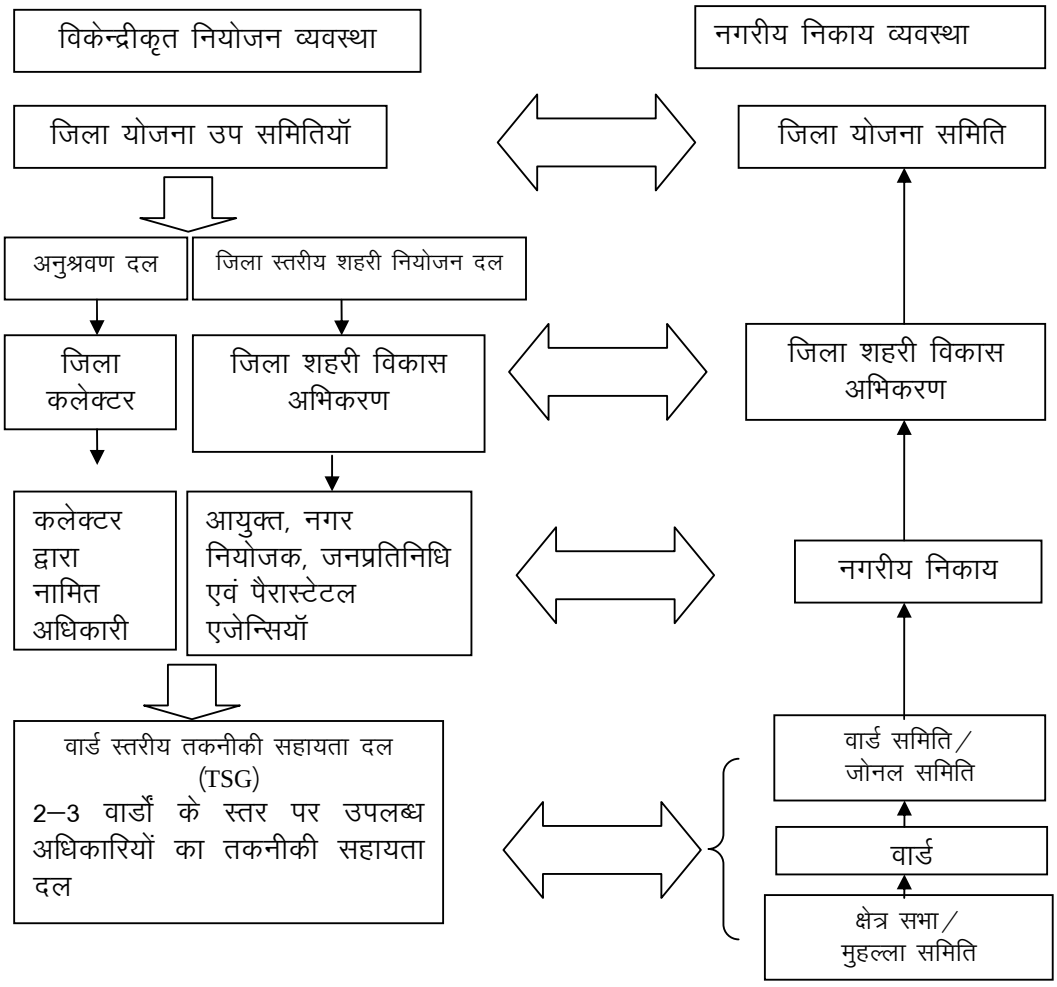

जिला स्तरीय शहरी नियोजन दल

शहरी क्षेत्रों को तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिये जिला स्तरीय शहरी नियोजन दल (Urban Planning Group- UPG) बनाया जायेगा जिसके संचालन में जिला शहरी विकास अभिकरण (DUDA) की मुख्य भूमिका होगी। नगरीय क्षेत्रों में संचालित विभिन्न सेवाओं एवं अधोसंरचनात्मक कार्यों के संचालन करने वाले विभागीय अधिकारीयों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं को सम्मिलित करके दल का गठन किया जायेगा। निकायों की योजनायें जिला योजना समिति को प्रेषित कराना सुनिश्चत करेंगे।

नगरीय निकाय स्तरीय नियोजन दल

प्रत्येक नगरीय निकाय में नियोजन की प्रक्रिया को संचालित करने के लिये नियोजन दल (BPG) का गठन किया जायेगा जिसमें नगरीय क्षेत्र के विकास कार्यों से जुड़े हुये विभागों के अधिकारियों को सम्मिलित किया जायेगा। स्थानीय स्तर पर सक्रिय स्वयंसेवी संस्थाओं को भी सम्मिलित किया जाना चाहिये। यह दल निकाय स्तर पर वार्ड स्तरीय तकनीकी सहायता दल को प्रशिक्षण एवं सहायता उपलब्ध करायेगा। वार्ड स्तरीय योजनाओं को समेकन करके नगरीय निकाय को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेंगे।

नगरीय वार्ड स्तरीय तकनीकी सहायता (TSG):

2 से 3 वार्डों पर संचालन, तकनीकी मार्गदर्शन एवं नियोजन की कार्यवाही को पूर्ण कराने के लिये स्थानीय अधिकारियों/स्वयंसेवी/सामाजिक कार्यकर्ता का तकनीकी सहायता दल गठित किया जायेगा। यह दल मोहल्ला स्तरीय समितियों के साथ समन्वय कर नियोजन की प्रक्रिया को पूर्ण करायेंगे एवं इन योजनाओं को समेकन करके वार्ड स्तरीय योजना तैयार कराना सुनिश्चित करेंगे।

मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा स्थानीय स्तर पर योजनाओं के निर्माण में सहायता करने के उद्देश्य से तकनीकी सहायता दलों का गठन किया है। तकनीकी सहायता दलों के सदस्य अपने–अपने में दक्ष होने के कारण स्थानीय योजनाओं का तैयार करने में सहायक साबित हो सकते हैं।

स्थानीय स्तर पर नगरीय निकायों के प्रतिनिधियों को एक अच्छी योजना बनाने और उन्हें लागू करने के लिये निम्न महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है–

- योजनाओं को बनाने के दौरान लोगों की सहभागिता को बढ़ाना
- योजनाओं को बनाने के लिये बैठकों का आयोजन और प्रबंधन करना
- योजनाओं के निर्माण में सामाजिक समावेशन सुनिश्चित करना

योजनाओं को बनाने के दौरान लोगों की सहभागिता को बढ़ाना

सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं से लोगों का जुड़ाव न हो पाना आरम्भ से ही एक चुनौती के रूप में रहा है। योजनाओं के निर्माण के दौरान लोगों की, विशेष कर समाज के कमजोर और पिछड़े वर्ग के लोगों की, सहभागिता न होने के कारण समाज के कमजोर वर्ग के लोगों की आवश्यकता के अनुसार योजनाओं का निर्माण नहीं हुआ। इसके साथ ही सरकार के द्वारा बनायी गयी योजनाओं का लाभ भी उन लोगों तक नहीं पहुँच पाया जिनके नाम पर योजनाओं का निर्माण किया गया था।

73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद से स्थानीय स्तर पर 'सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक विकास' की जिम्मेदारी स्थानीय स्वशासन की ईकाइयों को दी गयी है। समाज के कमजोर वर्गों के आर्थिक विकास के लिये यह आवश्यक है कि स्थानीय स्तर पर क्रियान्वित की जाने वाली आर्थिक गतिविधियों में उन्हें अवश्य शामिल किया जाय। इन योजनाओं में कमजोर वर्ग के लोगों के गहन जुड़ाव के लिये उन्हें योजनाओं के निर्माण की आरम्भिक प्रक्रियाओं से ही जोड़ने की आवश्यकता है।

नगर निकायों के स्तर पर योजना बनाते समय निम्न समूहों को प्रमुखता के आधार पर ध्यान में रखने की जरूरत हैं–

4. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति,
5. महिलायें एवं बच्चे,
6. विकलांग एवं निराश्रित,

अधिकांशतः देखा गया है कि नगर विकास के संबंध में होने वाली बैठकों, शहर की सामाजिक गतिविधियों तथा निर्णयों आदि में उपेक्षित वर्गो की भागीदारी नहीं हो पाती है, और ये वर्ग धीरे–धीरे हाशिए पर चले जाते है। अतः मध्य प्रदेश द्वारा 11वीं पंचवर्षीय योजना की मार्गदर्शिका के आधार पर तय किया कि शहर की सभी गतिविधियों में शहर के सभी उपेक्षित वर्गो की भागीदारी अनिवार्यतः हो।

शहर के विकास से जुड़े लोगों को यह ध्यान में रखना होगा कि शहर में सभी समूह योजना बनाने के काम से जरूर जुड़ें। यदि किसी शहर में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के एक–दो व्यक्ति भी रहते ळें तो उन्हें योजना में अवश्य शामिल किया जाय।

1. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति

   इस समूह में जो व्यक्ति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग में आता है, वही व्यक्ति इस समूह का सदस्य हो सकता है, अन्य जाति का व्यक्ति समूह का सदस्य नहीं हो सकता। यदि ग्राम में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति वर्ग की महिलाओं को इस समूह में जरूर शामिल किया जाए।

2. महिलायें एवं बच्चे

   इस समूह में महिलाएं एवं बच्चे दोनों वर्ग सम्मिलित रहेंगे। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, पिछडे वर्ग तथा सामान्य सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होगा। तकनीकी सहायता दल प्रयास करें कि इसमें सभी जाति वर्गो की समान सहभागिता हो।

3. विकलांग एवं निराश्रित

   इस समूह में ऐसे महिला–पुरूष सम्मिलित रहेंगे जो विकलांग, निराश्रित, वृद्ध या सामाजिक सुरक्षा प्राप्त वर्गों में आते है। ''तकनीकी सहायता दल'' प्रयास करें की इसमें महिला–पुरूषों की समान सहभागिता हो। ऐसे लोगों के निवास पर जाकर भी चर्चा की जा सकती है।

स्थानीय स्वशासन की ईकाइयों के जनप्रतिनिधियों के द्वारा योजनाओं के निर्माण में लोगों की सहभागिता को बढ़ाने के लिये निम्न प्रयास किये जा सकते हैं –

- स्थानीय स्तर पर आरम्भ की जाने समाजिक–आर्थिक विकास की योजनाओं की जानकारी और उससे होने वाले संभावित लाभों की जानकारी अपने वार्ड के प्रत्येक परिवार तक पहुॅचाना,
- योजना के क्रियान्वयन के संबंध में आयोजित होने वाली बैठक की सूचना अपने वार्ड के प्रत्येक परिवार को देना,
- स्थानीय स्तर योजना के संबंध में आयोजित बैठक में लोगों को, विशेष कर महिलाओं और बुजुर्गों को उपस्थित होने के लिये प्रेरित करना,
- बैठक में उपस्थित लोगों के एक समान रूप से बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित करना,
- महिलाओं को उपयुक्त स्थान पर बैठाने की व्यवस्था करना,
- चर्चा के दौरान महिलाओं, बुजुर्गों और समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को बोलने का पूरा मौका देना और उनकी बातों को ध्यान से सुनना,

- योजना से जुड़े आर्थिक मुद्दों पर खुल कर चर्चा करना और वित्त संबंधी सारी जानकारी को लोगों के सामने रखना,
- चर्चा के दौरान महिलाओं, बुजुर्गों और समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के द्वारा रखे गये विचारों (सहमति या असहमति) को बैठक के मिनट्स में उपयुक्त स्थान पर लिखवाना,

जनप्रतिनिधियों के उपरोक्त प्रयासों से स्थानीय स्तर पर लोगों में उनके प्रति विश्वास में वृद्धि होगी और लोग सदैव जनप्रतिनिधियों के सामने अपनी बातों को सहजता और विश्वास के साथ रख सकेंगें।

योजनाओं को बनाने के लिये बैठकों का आयोजन और प्रबंधन

स्थानीय स्वशासन की ईकाइयों के गठन के बाद से उनकी नियमित बैठकों का प्रावधान भी किया गया है। इन बैठकों के माध्यम से ही स्थानीय स्वशासन की ईकाइयों में स्थानीय विकास से संबंधित विभिन्न योजनाओं का निर्माण और और उनके लागू किये जाने के प्रस्ताव पास किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

प्रायः यह अनुभव किया जाता है कि बैठकों की व्यवस्था और उनका संचालन ठीक तरीके से न किये जाने के कारण स्थानीय लोगों की बैठकों में उपस्थिति कम रहती है। इसी कारण से लोगों का स्थानीय स्तर के विकास कामों से जुडाव भी बहुत कम होता है। यह स्थिति लम्बे समय तक बने रहने पर लोगों का स्थानीय स्वशासन की ईकाइयों पर से विश्वास खत्म हो जाने का खतरा बन जाता है। लोगों के स्थानीय स्वशासन की ईकाइयों से विश्वास के समाप्त हो जाने की स्थिति में कई बार कोरम पूरा करने या किसी महत्वपूर्ण प्रस्ताव को पारित कराने के लिये जनप्रतिनिधियों के द्वारा उपस्थिति पंजिका पर लोगों के घरों में जाकर हस्ताक्षर कराने की बातें सुनने में आती हैं।

स्थानीय स्तर पर स्थानीय स्वशासन की ईकाइयों के द्वारा किये जाने वाले विकास के विभिन्न कार्यों और जिला योजना के निर्माण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में लोगों की सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिये यह आवश्यक है कि इन कार्यों के लिये आयोजित की जाने वाली बैठकों का आयोजन व संचालन सही ढ़ंग से किया जाय। कई बार लोगों की व्यस्तताओं के कारण उनकी उपस्थिति कम समय के लिये हो पाती है। ऐसे में बैठकों के आयोजन के पहले उनकी आयोजना करना बहुत महत्वपूर्ण है जिससे बैठकों का वांछित परिणाम प्राप्त किया जा सके।

बैठकों के आयोजन और उनके संचालन के कुछ महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित हैं –

बैठक की प्रक्रिया को स्थापित करना – बैठक का संचालन प्रायः अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है और इसके लिये उसे बहुत सी तैयारियॉ करनी होती हैं। ऐसे में बैठक के संचालन से संबंधित कुछ कार्य अन्य जनप्रतिनिधियों को भी सौंपे जा सकते हैं। ऐसा करने से संस्था के अन्य पदाधिकारियों में भी बैठक के महत्व के प्रति चेतना आयेगी। इसी प्रकार चर्चा के दौरान मिनट्स लिखने की जिम्मेदारी सचिव की होती है। किन्तु चर्चा के दौरान एक बार में कई लोगों के एक साथ बोलने की स्थिति में एक ही व्यक्ति के द्वारा सभी की बातों को लिख पाना

मुश्किल होता है। ऐसे में मिनट्स लिखने संबंधी कार्य में भी कुछ अन्य व्यक्तियों को शामिल किया जा सकता है। इससे बैठक में उनकी उपस्थिति को भी सुनिश्चित किया जा सकेगा।

बैठक का स्थान, तारीख और समय तय करना – बैठक के आयेाजन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण घटक इसके स्थान का है। बैठक के स्थान का चयन इस प्रकार से किया जाना चाहिये जिससे चर्चा में शामिल लोगों को बैठने के लिये पर्याप्त स्थान मिल सके। यहॉ यह ध्यान देना भी जरूरी है कि स्थान इतना बड़ा भी न हो कि कुछ लोग एक कोने में अलग से बैठ कर चर्चा करने लगें। इससे जहॉ एक ओर बैठक में उनकी सहभागिता नहीं होगी वहीं दूसरी ओर उनकी बातों से चर्चा कर रहे लोगों का ध्यान बॅटने की संभावना बनी रहेगी। बैठक का स्थान तय करते समय ही यह भी तय करना चाहिये कि –

- बैठक के स्थान तक सभी का (बुजुर्ग, महिलायें, अनुसूचित जाति व जनजाति के लोग इत्यादि) पहुॅचना आसान हो,
- बैठक के दौरान लोगों के बैठने की व्यवस्था एक जैसी हो,
- बैठक में चर्चा के दौरान लोग एक दूसरे को देख सकें,
- चर्चा के दौरान लोग एक दूसरे को सुन सकें,
- बैठक के स्थान पर रोशनी, पानी और शौचालय की व्यवस्था हो,
- बैठक के स्थान के पास गाड़ियों का शोर न हो,

बैठक का स्थान तय करने के बाद बैठक की तारीख को तय किया जाना चाहिये। बैठक की तिथि किसी त्योहार या बाजार–हाट वाले दिन न होकर किसी सामान्य दिन में तय की जानी चाहिये। यद्यपि ऐसा भी देखने में आया है कि कुछ विषय विशेष के संबंध में किसी त्योहार के दिन आयोजित बैठक के परिणाम बहुत अच्छे रहे हैं।

बैठक की तिथि तय करने के साथ ही बैठक का समय भी निर्धारित किया जाना चाहिये। इससे बैठक वाले दिन के नियमित कामों को लोग बैठक के पहले या बाद में करने के लिये पहले से तैयार हो सकेंगे। बैठक के समय का निर्धारण बैठक के उद्देश्य और इस दौरान की जाने वाली चर्चा के आधार पर तय किया जाना चाहिये।

बैठक का एजेंडा तय करना – किसी बैठक के सफल आयोजन का मूल मंत्र उसका सही एजेंडा तय करना होता है। सही एजेंडा तय हो जाने से बैठक के दौरान चर्चा भी एजेंडे पर केन्द्रित होती है।

एक सफल बैठक के आयेाजन के लिये यह भी आवश्यक है कि बैठक के स्थान, तिथि, समय और एजेंडा की जानकारी बैठक में भाग लेने वाले सभी व्यक्तियों को पहले से ही दे दी जानी चाहिये।

बैठक के दौरान चर्चा में लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करना – किसी बैठक के सफल आयोजन के लिये यह बहुत जरूरी है कि बैठक में उपस्थित सभी लोगों को बोलने का मौका दिया। इसके साथ ही इस बात को सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि जब कोई बोल रहा हो तो बाकी लोग उसे सुनें। स्थानीय स्वशासन की ईकाइयों के स्तर पर आयोजित की जाने वाली बैठकों में इन दोनों बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिये।

चर्चा में अनुसूचित जाति व जनजाति के लोग, बुजुर्ग, महिलायें इत्यादि अधिक से अधिक भाग ले सकें इसके लिये आवश्यक है कि उन्हें बोलने के लिये अवसर प्रदान किया जाय। स्थानीय स्तर पर विकास योजनाओं के निर्माण के संदर्भ में आयोजित बैठकों के दौरान जनप्रतिनिधियों को इन लोगों को अपनी बात रखने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। उन्हे रोकने का प्रयास करने पर उनका आत्मविश्वास कम होगा और आगे की चर्चा में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करना संभव नहीं होगा। जनप्रतिनिधियों को इस प्रकार की संभावित बाधाओं से पार पाने के लिये पहले से तैयारी करनी चाहिये।

सामाजिक समावेशन में जन प्रतिनिधियों की भूमिका

समाज के हर वर्ग के लोगों का जिला योजना के निर्माण के हर स्तर पर शामिल किया जाना जिला योजना निर्माण का एक चुनौतीपूर्ण किन्तु महत्वपूर्ण पहलू है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज में भी समेकित विकास की अवधारणा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। विगत वर्षों के अनुभव भी यह बताते हैं कि लोगों के योजना निर्माण से लेकर उनके क्रियान्वयन तक में लोगों की, विशेष कर समाज के कमजोर और पिछड़े वर्ग के लोगों की समुचित भागीदारी न होने के कारण उनकी सामाजिक–आर्थिक परिस्थितियों में बहुत सुधार नहीं हुआ है। समाज के इन लोगों की स्थिति मानव विकास के सूचकांकों के आधार पर बहुत ही पिछड़ी हुई है।

जिला योजना के निर्माण में सामाजिक समावेश के लक्ष्य को पाने में स्थानीय स्वशासन की इकाइयों के सदस्यों द्वारा जिला योजना के निर्माण की प्रक्रिया की सूचना मिलने पर तुरन्त ही अपने हितभागियों (विशेष कर समाज के कमजोर और पिछड़े) वर्ग के लोगों को इसके बारे में जानकारी देना चाहिये। इसके बाद उन लोगों के साथ बैठकर उनकी समस्याओं और प्राथमिकताओं को जिला योजना में शामिल कराने के संबंध में एक ठोस कार्यनीति बनाने में सहयोग करना चाहिये।

समाज के कमजोर लोगों की समस्याओं और प्राथमिकताओं को तय करने तथा जिला योजना में उन्हें शामिल कराने के संबंध में कार्यनीति के बन जाने के बाद स्थानीय स्वशासन की इकाइयों के सदस्य ग्राम सभा या वार्ड सभा की बैठकों के दौरान उपस्थित होकर इन लोगों की बातों को सही तरीके से रखवाने में सहयोग कर सकते हैं। ऐसा भी देखने में आता है कि मुद्दों की पहचान हो जाने के बाद भी समाज के कमजोर वर्ग के लोगो की बातों को सही तरीके से बैठकों में न रखे जाने के कारण उन पर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है और उसे कार्य योजना का स्वरूप नहीं मिल पाता है। ऐसे में यदि स्थानीय स्वशासन की इकाइयों के सदस्य समाज के कमजोर वर्ग के लोगों की बातों को सही तरीके से रखवाने और उन्हें बैठक की कार्यवाही पुस्तिका में शामिल कराकर उन पर एक ठोस कार्य योजना बनवाने में सहयोग करें तो समाज के कमजोर वर्ग के लोगों का समावेशन योजना निर्माण से उनके क्रियान्वन तक कराने में निश्चित रूप से प्रभावी होगा।

ग्रामीण–शहरी समायोजन

जिला योजना के निर्माण में स्थानीय स्वशासन की इकाइयों के सदस्य अपने अनुभवों के आधार पर ग्रामीण–शहरी विकास के समायोजन में सहयोग कर सकते हैं। आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मानव विकास से जुड़े पहलुओं पर ग्रामीण–शहरी समायोजन से ग्रामीण और शहरी विकास के पूरक तत्वों को पहचानने में मदद मिलेगी तथा इसके साथ ही समस्याओं को तेजी से हल करने में भी मदद मिलेगी।

जेंड़र संवेदनशीलता को सुनिश्चित करना

समाज में पिछड़े और वंचित वर्ग के लोगों का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि महिलाओं की स्थिति विकास के प्रत्येक सूचक पर पिछड़ी ही बनी हुयी है। महिलाओं में शिक्षा का स्तर देश के अधिकांश राज्यों में बहुत कम है। मध्य प्रदेश में भी महिलाओं में साक्षरता की दर 50.30% है जो राज्य के पुरूषों की साक्षरता दर 76.7% की तुलना में बहुत कम है। राज्य में अनुसूचित जाति की महिलाओं में साक्षरता की दर 43.28% और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं में यह दर 28.44% की है। ऐसे में राज्य की महिलाओं के विकास के चित्र का सहज अंदाज लगाया जा सकता है। शिक्षा के साथ–साथ महिलाओं के स्वास्थ्य और उनकी आजीविका भी ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर जिला योजना के निर्माण के दौरान विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है।

इसके अतिरिक्त स्थानीय स्तर पर योजनाओं के बेहतर निर्माण और उनके क्रियान्वयन को बढ़ावा देने के लिये निम्नलिखित प्रयास किये जाने चाहिये–

- शहर के विकास के लिए कम समय की योजना तैयार करायें और उसमें लोगों की भागीदारी हर स्तर पर सुनिश्चित करायें।
- सहभागी विकास एवं पारदर्शिता को अवश्य सुनिश्चित करें जैसे कितना कार्य हुआ जिसमें सरकार का अनुदान समाज का अनुदान कितना रहा।
- शहर में सभी जन्म एवं मृत्यु व विवाह का पंजीकरण सुनिश्चित करायें। इसे एक सामाजिक दायित्व की तरह देखें
- नगरीय निकाय अधिनियमों के तहत अपने कर्तव्यों और अधिकारों के बारे में पूर्ण जानकारी रखें।

- शहर के लोगों में, विशेषकर महिलाओं में उनके सामाजिक तथा संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करें।
- जमीन व पट्टे में महिला के नाम को शामिल करवाने के प्रति लोगों को जागरूक करें और इसे लागू करने में लोगों का सहयोग करें।
- शासन की तरफ से आने वाले कार्यक्रमों के बारे में पूर्ण जानकारी रखें तथा उसे गांव के सभी लोगों को बतायें, बालिकाओं व किशोरियों, बुजुर्गों, विधवा एवं अन्य व्यक्तियों से संबंधित योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करें। संभव हो तो उसे पंचायत भवन पर लिखवा दें।
- स्थानीय स्तर के बुनियादी उद्योगों को बढ़ावा दें। आप सृजन एवं व्यवसायिक प्रशिक्षणों में भाग लेने के लिए गांव के लोगों को प्रेरित करें और इस तरह के प्रशिक्षण गांव स्तर पर शुरूआत करायें। गांव के बुनियादी उद्योगों के बारे में नौजवानों को प्रशिक्षित करायें और उन्हें प्रेरित करें कि आप इनके माध्यम से अपनी पहचान बना सकते हैं।
- शहर के सभी वर्गों, विशेषकर महिलाओं एवं कमजोर वर्गों की विकासीय कार्यक्रमों का पूर्ण लाभ उठाने हेतु प्रोत्साहित करें एवं उसे सुनिश्चित करें।
- महिलाओं, किसानों, युवकों तथा युवतियों को संगठित कर गांव के विभिन्न समितियों का सदस्य बनायें तथा उन्हें विभिन्न कार्यों व निर्णय की प्रक्रियाओं में सक्रिय भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें। साथ ही, उनको छोटे–छोटे समूह में बचत योजना के प्रति जागरूक करें।
- महिलाओं, युवाओं, किसानों के लिए परामर्श केन्द्र की स्थापना कराने का प्रयास करें।
- अपने शहर में एक ऐसा समूह तैयार करें जो ग्राम पंचायत की योजनाओं एवं जानकारियों को देने हेतु कार्य करें साथ ही, उन योजनाओं का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण भी करें।
- ऐसी योजना को अवश्य सूचीबद्ध करें जिन्हें बिना किसी आर्थिक सहयोग के शहर के सहयोग से पूरा किया जा सकता है।
- महिलाओं, किसानों एवं युवकों/युवतियों के संगठनों को पंजीकरण कराने में सहयोग करें।

विषय से संबंधित अतिरिक्त संदर्भ सामग्री

विकास की अवधारणा

दुनिया के देशों में पिछली शताब्दी में आर्थिक विकास के संदर्भ में व्यापक परिवर्तन देखने को मिलता है। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। आजादी के बाद विगत् लगभग 6 दशकों में भारत में जो आर्थिक परिवर्तन हुये हैं उनमे से अधिकांश 1980 के बाद से दिखायी देते हैं। किन्तु इसके साथ ही यह भी देखने मे आता है कि आर्थिक विकास से होने वाला लाभ समाज के केवल कुछ हिस्सों तक ही पहुॅच सका। आर्थिक विकास का समाज के सभी वर्गों को लाभ न मिल पाने के कारण इन वर्षों में अनेक सामाजिक विसंगतियों को बढ़ावा भी मिला है।

विश्व स्तर पर यदि विकास की चर्चा की जाये तो हम पाते हैं कि 1980 से पहले प्रायः सभी देशों में आर्थिक संवृद्धि को ही विकास मान लिया जाता था। किन्तु इसके बाद के वर्षों में नीति निर्धारकों के द्वारा आर्थिक विकास के साथ–साथ मानव विकास पर भी ध्यान केन्द्रित किया गया। प्रति व्यक्ति आय के साथ–साथ शिक्षा तथा स्वास्थ्य (सीमित अर्थों में) के मुद्दों को मानव विकास के साथ जोड़ा गया। उसी दौरान संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) के द्वारा प्रकाशित मानव विकास प्रतिवेदन ने मानव विकास के संदर्भ में एक नयी सोच का प्रसार किया।

मानव विकास का परिचय, अवधारणा, विभिन्न आयाम

विकास सामाजिक हो या आर्थिक उसका उद्देश्य मानव का समग्र विकास करना ही होता है। सामाजिक विकास में समाज के चौतरफा विकास पर बल दिया जाता है। समाज एक पूर्ण इकाई है और व्यक्ति उसका एक अंग है। सामाजिक विकास में व्यक्ति को जो भी लाभ प्राप्त होता है वह एक प्राणी समूह के रूप में मिलता है।

यह संभव है कि विकास सभी लोगों तक पहुंचने की अपेक्षा कुछ लोगों तक ही केन्द्रित हो। जब हम एक सामान्य व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए विकास का विश्लेषण करते है, तो इस बात का ध्यान रखते है कि विकास से उसको कितना लाभ हुआ, उसे कितने अवसर मिल पाये तथा कहां तक यह विकास महिलाओं व पुरूषों में समान रूप से वितरित हुआ? यही से मानव विकास की सोच प्रारंभ होती है। मानव विकास, सामाजिक विकास का एक मूल तत्व है। विकास की दिशा में यह 'मानव–केन्द्रित' सोच है।

1990 के दशक में यू.एन.डी.पी. के तत्वाधान में पाकिस्तान के अर्थशास्त्री श्री महबूब उल हक एवं भारतीय मूल के अर्थशास्त्री श्री अर्मत्य सेन ने विश्लेषण करते हुए यह माना कि, आर्थिक वृद्धि से यह आवश्यक नहीं कि इससे सभी लोगों का कल्याण भी हो। उन्होंने आर्थिक वृद्धि की परिकल्पना से आगे बढ़कर मानव विकास अवधारणा की परिकल्पना की। इसके अंतर्गत उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आजीविका पर ध्यान दिये जाने की वकालत की।

आर्थिक विकास और मानव विकास में अंतर

सकल घरेलू उत्पाद और जनसंख्या के अनुपात से प्राप्त आय के आधार पर दुनिया के विभिन्न देशों की जो परस्पर तुलना की जाती है वह विश्व के गरीबों की स्थिति को मापने के लिहाज से उपयुक्त नहीं है। इससे प्रति व्यक्ति आय के ऑकड़े मिलते है, जिनके आधार पर विभिन्न देशों को क्रम जरूर दिया जा सकता है, किन्तु ये ऑकड़े उन देशों की वास्तविक स्थिति की व्याख्या नहीं करते है। इस तरह की तुलनाओं से समाज के कमजोर वर्गों की स्थिति की झलक नहीं मिलती। इस तरीके में आय को विकास के परिणाम के रूप में नहीं बल्कि विकास के साधन के रूप में देखा जाता है। इसके अतिरिक्त लोगों के दैनिक जीवन और उनके क्रियाकलापों से इसका संबंध बहुत कम है।

मानव विकास का नापने का तरीकाः मानव विकास सूचकांक

नीतिकारों, योजनाकारों और शैक्षिक वर्ग के लिए मानव विकास को विज्ञान की तर्ज पर मापना महत्वपूर्ण हो जाता है। मानव विकास को मापने के लिए मानव विकास सूचकांक का उपयोग किया जाता है। यह विकास के विभिन्न आयाम जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आय के सूचकांक का मिला–जुला पैमाना है। मानव विकास सूचकांक एक आईने की तरह होता है, जो यह दिखाता है कि राष्ट्र, राज्य व जिले की वर्तमान स्थिति कैसी है और इसे कहॉ तक का सफर तय करना है।

विकास की एक आदर्श स्थिति वह होती है जहां संसाधनों का विकास लोगों की आवश्यकता के अनुसार हो। इसके साथ ही संसाधनों का समाज के सभी वर्गों और लोगों के बीच सही तरीके से बॅटवारा होना भी आवश्यक है। आर्थिक विकास का सही लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग को न मिल पाने के पीछे सामाजिक असमानता एक प्रमुख कारण रही है। यदि 'जेंडर' के नजरिये से देखें तो यह अंतर और स्पष्ट नजर आता है।

उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट है कि जहां एक और आर्थिक विकास भवनों, स्कूलों, सड़कों इत्यादि के निर्माण तक सीमित है वहीं मानव विकास समाज में रहने वाले लोगों और उनकी खुशहाली से सरोकार रखता है। सब के लिए स्वास्थ, शिक्षा, रोजगार, खाद्य सुरक्षा और जेण्डर समानता मानव विकास के मूलमंत्र हैं।

सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य

सितम्बर 2000 में दुनिया के 192 देशों ने संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दी वर्ष सम्मेलन के दौरान आठ ऐसे विषयों का चयन किया जिनके माध्यम से सभी देशों में सही मायनों में विकास को दिखाया और स्थापित किया जा सके। इन आठ विषयों से संबंधित लक्ष्यों को सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों के रूप में चिन्हित किया गया है और वर्ष 2015 तक इन लक्ष्यों को पाने के लिये दुनिया के विभिन्न देश प्रयास कर रहे हैं। इन आठ लक्ष्यों के संदर्भ में 21 सूचकांकों को तैयार किया गया है जिनके आधार पर लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में हो रही प्रगति को मापा जा सकता है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करके मानव विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की जा सकती है।

सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों से संबंधित आठ विषय निम्नवत् हैं –

1. अत्यधिक गरीबी और भूखमरी को समाप्त करना,
2. सभी को प्राथमिक शिक्षा दिलाना,
3. लैंगिक समानता और महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देना,
4. बाल मृत्यु दर को कम करना,
5. मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ावा देना,
6. एच.आई0वी0/एड्स, मलेरिया जैसी बिमारियों से लड़ना,
7. पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करना,
8. विकास के लिये वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना

दुनिया के विभिन्न देशों, जिनमें भारत भी शामिल है, के साथ–साथ 23 अन्तर्राष्ट्रीय संस्थायें भी सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों को पाने में सहयोग कर रही हैं। वास्तव में सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को एक जैसे लक्ष्यों को पाने के लिये साथ आकर काम करने का अवसर प्रदान करते हैं।

सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य के संदर्भ में राज्य और जिले की विवेचना

विकास से जुड़े विभिन्न मॉडलों की विवेचना करने के बाद यह पाया गया है कि स्थानीय स्तर की विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के यह आवश्यक है कि विकास योजना का निर्माण स्थानीय स्तर पर किया जाय। इससे स्थानीय स्तर पर काम करने वाली अभिशासन की संस्थाओं और उनसे जुड़े लोक सेवकों की जवाबदेही बढ़ती है। ऐसा करके स्थानीय निवासियों की सहभागिता को योजनाओं के निर्माण, उनके क्रियान्वयन और योजना के उपरान्त बनने वाली परिसम्पत्ति के रख–रखाव में सुनिश्चित भी किया जा सकता है।

भारत में 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्थानीय स्वशासन की इकाईयों को दिये जाने का प्रावधान किया गया है। संविधान के अनुसार देश के प्रत्येक राज्य के सभी जिलों में जिले के स्तर जिला योजना समितियों के गठन का भी प्रावधान किया गया है। यदि स्थानीय स्वशासन की इकाईयों और जिला योजना समितियों के द्वारा स्थानीय सतर की योजनाओं के निर्माण के समय सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों और उनके संदर्भ में राज्य और जिले की स्थिति को सामने रख कर योजनाओं को निर्माण किया जाय तो योजनाओं का निर्माण वास्तविकताओं के आधार पर किया जा सकेगा। ऐसी योजनाओं को जिला योजनाओं में शामिल करके उसे राज्य योजना का आधार बनाने के संवैधानिक लक्ष्य को प्राप्त करने में भी सफलता पायी जा सकेगी।

समेकित जिला योजना

संविधान की मंशा के अनुरूप बनायी जाने वाली समग्र जिला योजना वास्तव में जिले के आगामी वर्षों के दौरान विकास करने की प्रक्रिया से संबंधित दस्तावेज होता है। इस दस्तावेज में जिले के विकास से जुड़ी संभावनाओं और समस्याओं के साथ–साथ जिले में उपलब्ध संसाधनों (प्राकृतिक, मानवीय, वित्तीय, तकनीकी इत्यादि)[1] और अवसरों का विस्तृत उल्लेख होता है।

ऐसी नियोजन प्रक्रिया जो स्थानीय सरकारों के सबसे निचले स्तर (ग्राम सभा/वार्ड सभा) से शुरू होकर स्थानीय सरकारों की ईकाइयों (ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज संस्थायें और शहरी क्षेत्र में स्थानीय नगरीय निकाय) के प्रत्येक स्तरों से होती हुयी, जिले स्तर पर जिला योजना समिति द्वारा समेकित की जाती है उसे समेकित जिला योजना कहा जाता है। इसे ही विकेन्द्रीकृत जिला योजना भी कहते हैं।

जिला योजना का दस्तावेज आवश्यकता और वस्तु स्थिति के आधार पर एक वर्ष, पॉच वर्ष या इससे भी लम्बी अवधि का हो सकता है। उदाहरण के लिये संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑरेगन राज्य में आने वाले पोर्टलैण्ड शहर के लिये वर्ष 2020 तक की योजना को 1970 में (50 वर्ष की योजना) तैयार कर

[1] प्राकृतिक संसाधन & जमीन, नदी, झरना, तालाब और पानी के अन्य स्रोत, जंगल और पेड़–पौधे, पहाड़ इत्यादि।

मानवीय संसाधन & महिला–पुरूष, बच्चे–बच्चियॉ, वृद्ध, विकलांग।

वित्तीय संसाधन & दान दाता, बैंकिंग संस्थायें, सरकार की विभिन्न योजनाओं से आना वाला धन, कर, चुंगी, फीस इत्यादि से होने वाली आय।

तकनीकी संसाधन – खुद के या देशी ज्ञान पर आधारित और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध तकनीक जैसे आटा पीसने की चक्की, हाथ से चलने पंखा, कोल्हू से तेल निकालने की मशीन।

लिया गया था (उसी दस्तावेज के आधार पर पोर्टलैण्ड जैसे महत्वपूर्ण औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्र को लोगों के बेहतर जीवन–यापन वाले हरित क्षेत्र के रूप में विकसित करने का लक्ष्य किया गया था)।

नियोजन क्या है?

प्रायः यह देखने में आता है कि हमारी आयोजना 'आवश्यकता आविष्कार की जननी है' के सिद्धान्त के आधार पर बनती है। आवश्यकता को पूरा करने के लिये छोटी व अपूर्ण ही सही, एक आयोजना बनाई जाती है। इस आयोजना को बनाने के लिये उसके संबंध में तथ्यों और ऑकड़ों को इकट्ठा करने, उनका विश्लेषण करने, आवश्यक संसाधनों पर विचार करने, संसाधनों के स्रोतों पर विचार करने और उनको कार्यों से जोड़ने, योजना के क्रियान्वयन के दौरान उसकी नियमित देख–रेख और मूल्यांकन के तरीके को तय करने जैसी गतिविधियों के निर्धारण का सम्पूर्ण कार्य नियोजन कहलाता है।

नियोजन का कार्य किसी विशेष गतिविधि या स्तर से नहीं जुड़ा है बल्कि यह सभी गतिविधियों और सभी स्तरों पर किया जाता है। नियोजन के दौरान समय और परिस्थिति के अनुसार वैकल्पिक आयोजना भी की जाय तो यह एक बेहतर स्थिति होती है।

नियोजन की प्राचीन विधि

भारतीय संदर्भ में यदि देखा जाय तो आजादी के बाद से प्रायः नियोजन का तरीका उपर से नीचे की ओर रहा। सत्ता के शीर्ष पर बैठे कुछ विषय विशेषज्ञों के सीमित ज्ञान और जानकारी के आधार पर देश भर में एक समान योजना तय की जाती रही। इसका परिणाम यह हुआ कि योजनाओं का लाभ कुछ सीमित क्षेत्रों और कुछ सीमित लोगों तक ही पहुँच सका। देश की अधिकांश आबादी, विशेष कर ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले लोग जहॉ आवागमन और संवाद की सुविधा सीमित थी, साक्षरता की दर कम थी, वहॉ के लोगों को तो इन योजनाओं का लाभ बिलकुल ही नहीं मिला।

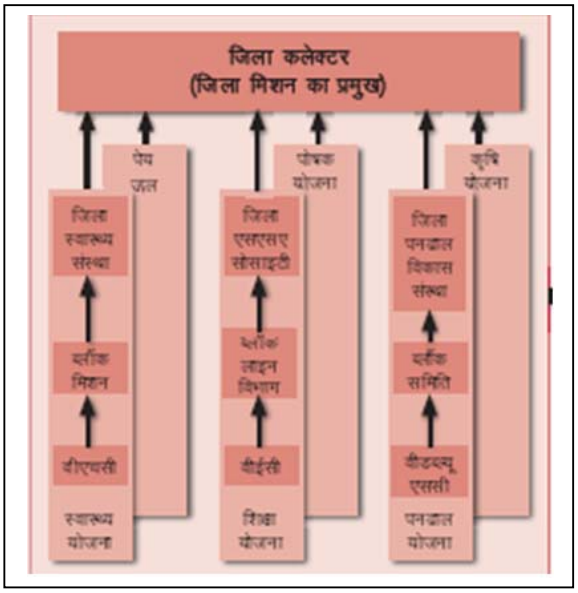

जिले के स्तर पर भी प्रायः जिले में चलायी जाने वाली समस्त योजनाओं की अध्यक्षता जिला कलेक्टर के द्वारा ही कराये जाने की परंपरा को बढ़ावा दिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि जिले के कलेक्टर के उपर आवश्यकता से ज्यादा भार लाद दिया गया। समयाभाव के कारण कई बार कलेक्टरों के द्वारा कुछ योजनाओं में अपनी उपस्थिति महज खानापूर्ति के लिये भी कराये जाने के प्रमाण हैं। ऐसे में बहुत सी योजनाओं के नियोजन या उनके बेहतर क्रियान्वयन के लिये जिला कलेक्टरों ने न तो कोई भूमिका निभायी और न ही कोई ठोस मार्गदर्शन दिया।

वर्तमान प्ररिप्रेक्ष्य में जिला स्तरीय नियोजन

संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के बाद भारतीय संविधान में अध्याय 9 और 9 (ए) को जोड़ा गया। इसके अनुसार स्थानीय स्तर पर क्रमशः ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी क्षेत्र में स्थानीय शहरी निकायों के गठन का प्रावधान किया गया है। 74वें संविधान संशोधन के अनुसार जिले के स्तर पर बनायी जाने वाली जिला योजना समितियों की एक प्रमुख जिम्मेदारी यह होगी कि उनके द्वारा जिले की विभिन्न पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय शहरी निकायों के द्वारा तैयार की वार्षिक योजनाओं का समेकन कर जिला योजना का निर्माण किया जाय।

संविधान के अनुच्छेद 243 छ और 243 ब के अनुसार क्रमशः पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय नगरीय निकायों को 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची में दिये गये विषयों के संबंध में योजनाओं को बनाने का कार्य सौंपा गया है (संलग्नक)। इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 243 य घ में देश के प्रत्येक राज्य के सभी जिलों में जिले के स्तर पर एक जिला योजना समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। इस जिला योजना समिति के द्वारा स्थानीय सरकारों (ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी क्षेत्र में स्थानीय शहरी निकायों) के सबसे निचले स्तर (ग्राम सभा/वार्ड सभा) से शुरू होकर जिले के स्तर तक के नियोजन को समेकित किया जाता है तथा उसे जिला योजना का स्वरूप दिया जाता है।

विकास लक्ष्यों को पाने में जिला योजना का महत्व

यदि जिला योजना के प्रारूप के निर्माण की प्रक्रिया को और गहराई से समझा जाय तो यह स्पष्ट होता है कि वास्तव में जिले की योजना जिले के अन्तर्गत आने वाले गॉवों और शहरों की स्थानीय स्तर पर बनाई गई योजनाओं के आधार पर तैयार की जाती है। यही कारण है कि इसे समेकित जिला योजना भी कहा जाता है। गॉवों/पंचायतों और वार्ड सभा/शहरों की आवश्यकताओं के आधार पर बनने वाली इस योजना के सही ढ़ंग से निर्माण और उसके क्रियान्वयन से स्थानीय स्तर की प्रायः सभी समस्याओं का बेहतर समाधान निकाला जा सकता है और स्थानीय लोगों के जीवन स्तर को मानव विकास के सूचकांकों के आधार पर बेहतर बनाया जा सकता है।

जिला योजना के माध्यम से विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में सबसे सहायक तत्व है सहभागिता। स्थानीय स्तर पर बनने वाली योजनाओं में सहभागिता को बढ़ाने की संभावनायें सर्वाधिक होती हैं। पारदर्शी और सहभागी तरीके से स्थानीय स्तर पर बनायी गयी योजनाओं में लोगों का अपनापन साफ दिखायी देता है। सहभागी तरीके से बनायी गयी योजनाओं मे सूचनायें भी सही होती हैं क्योंकि स्थानीय स्तर पर लोग एक–दूसरे को करीब से जानते हैं।

योजनाओं के सहभागी आधार पर बनाये जाने का एक लाभ यह भी होता है कि लोगों की जरूरतें भी योजनाओं के निर्माण के दौरान ही तय होने लगती हैं। क्योंकि इस दौरान लोगों का योजनाओं से जुड़ाव बनने लगता है, अतः लोगों की योजना में सहयोग करने की इच्छा भी बहुत अधिक होती है। यदि योजनाओं के निर्माण के समय कोई सही तरीके से सहजकर्ता की भूमिका निभाये तो इसी समय उनके क्रियान्वयन की रूप–रेखा भी तैयार की जा सकती है। प्रायः यह भी देखा जाता है कि योजनाओं के निर्माण के बाद लोग हक से इनके क्रियान्वयन के बारे में पूछते हैं।

एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सहभागी तरीके से योजनाओं का निर्माण और फिर जिला योजना को तैयार किया जाना एक संवैधानिक आवश्यकता भी है। ऐसे में यह बेहतर होगा कि ग्राम सभा/वार्ड सभा से लेकर जिले स्तर तक योजनाओं का निर्माण सही तरीके से किया जाय जिससे वास्तविकता पर आधारित जिला योजना का निर्माण किया जा सकेगा और विकास के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा।

स्थानीय नियोजन के सूत्र

स्थानीय योजना का निर्माण करते समय कुछ आधारभूत बिन्दुओं पर ध्यान देने की जरूरत है जिससे जिले की योजना को वास्तविकता के आधार पर बनाया जा सके। स्थानीय योजना के निर्माण के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को निम्न प्रकार से देखा जा सकता है –

- लक्ष्यों की पहचान और उनका प्राथमिकीकरण
- संसाधनों की पहचान और उन्हें लक्ष्यों से जोड़ना
- दूसरी संस्थाओं/ योजनाओं से जुड़ाव
- आयोजना के अनुरूप क्रियान्वयन

लक्ष्यों की पहचान और उनका प्राथमिकीकरण

स्थानीय योजना बनाते समय बेहतर यह होगा कि सबसे पहले तो स्थानीय स्तर पर एक विजन दस्तावेज तैयार किया जाय। निश्चित रूप से यह विजन दस्तावेज भविष्य को ध्यान में रखकर स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं पर आधारित होना चाहिये। यह संभव है कि किसी क्षेत्र विशेष में आजीविका और रोजगार की समस्या ज्यादा प्रभावी हो जबकि पास के किसी क्षेत्र में स्वास्थ्य की समस्या को ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाय। ऐसी स्थिति में दोनों ही क्षेत्रों में योजनाओं के निर्माण लक्ष्य भिन्न–भिन्न होंगे।

वर्तमान समय में बहुत से राज्यों में जिला स्तर पर मानव विकास प्रतिवेदनों का निर्माण किया जा रहा है। स्थानीय स्तर पर विजन दस्तावेजों के निर्माण के दौरान इन मानव विकास की रिपोर्टों को सामने रख कर भविष्य के लक्ष्य निर्धारित किये जाये ंतो बेहतर होगा। इसी प्रकार विजन दस्तावेज के निर्माण में सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिये। मानव विकास प्रतिवेदन और सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों की वर्तमान स्थिति के आधार पर स्थानीय स्तर पर लक्ष्यों का प्राथमिकीकरण करके योजनाओं का निर्माण किया जा सकता है।

संसाधनों की पहचान और उन्हें लक्ष्यों से जोड़ना

योजना निर्माण करने के उपरान्त उसे सही ढ़ंग से क्रियान्वित करने के लिये यह आवश्यक है कि योजना के क्रियान्वयन के लिये आवश्यक संसाधनों की भी पहचान कर ली जाय। इन संसाधनों में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधन जैसे प्राकृतिक, मानवीय, आर्थिक संसाधन शामिल हैं। जितने ज्यादा संसाधन स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होंगे योजनाओं के क्रियान्वयन के

दौरान दूसरों पर निर्भरता उतनी ही कम होगी और अपने संसाधनों को उपयोग करने संबंधी निर्णय लेने में उतनी ही सुविधा होगी।

यहॉ यह बात ध्यान देने की है कि योजना निर्माण के समय स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों के साथ ही आस–पास उपलब्ध संसाधनों के उपयोग पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसा न होने पर कई बार संसाधनों का उपयोग ऐसी सुविधाओं के लिये किया जाता है जो पास मे पहले से उपलब्ध तो हैं किन्तु उनकी क्षमता का समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है।

जहॉ तक आर्थिक संसाधनों का प्रश्न है तो वर्तमान में केन्द्र व राज्य सरकार के द्वारा अलग–अलग क्षेत्रों के विकास के लिये विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। सरकार की इन विभिन्न योजनाओं में उपलब्ध राशि का उपयोग जिला स्तरीय योजना के निर्माण में किया जाना चाहिये। ऐसे जिले जहॉ क्षेत्र विशेष के आधार पर धनराशि आ रही है (उदाहरण के लिये पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष) वहॉ इन संसाधनों का इस प्रकार किया जाना चाहिये जिससे पूॅजी निवेश का दीर्घकालिक लाभ क्षेत्र के लोगों को मिल सके।

दूसरी संस्थाओं/ योजनाओं से जुड़ाव

योजनाओं के निर्माण के समय इस बात का ध्यान रखना भी आवश्यक है जिले में सरकारी प्रयासों के अतिरिक्त विकास से जुड़े अन्य किस प्रकार के गैर सरकारी प्रयास हो रहे हैं। वर्तमान अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र के उद्यमियों के द्वारा अनेक प्रकार के उद्योग और संस्थानों की स्थापना की जा रही है।योजना के निर्माण के दौरान इन उद्योगों और संस्थानों को ध्यान में रखकर योजनाओं का निर्माण किया जा सकता है। बेहतर तो यह होगा कि योजना निर्माण की प्रक्रिया में इन उद्योगों और संस्थानों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाय जिससे उनके विचारों को भी सुना जा सके और जिले के विकास में उनकी भूमिका को सुनिश्चित किया जा सके।

आयोजना के अनुरूप क्रियान्वयन

स्थानीय योजना के निर्माण के बाद उसका सही तरीके से क्रियान्वयन योजना का एक और महत्वपूर्ण सूत्र है। मुख्य रूप से यह कार्य स्थानीय स्वशासन की इकाईयों का है किन्तु स्थानीय नागरिक होने के नाते सभी लोगों की यह जिम्मेदारी बनती है उनके द्वारा योजना के क्रियान्वयन के संबंध में पूरी जानकारी मॉगी जाय। इससे योजना के क्रियान्वयन का कार्य करने

वाली संस्था के काम में आरम्भ से ही पारदर्शिता बनी रहेगी और उसके द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का लाभ सही व्यक्ति को उचित गुणवत्ता के आधार पर मिलेगा।

इस कार्य के लिये स्थानीय स्वशासन की इकाईयों के द्वारा भी नियमित रूप से बैठकों का आयोजन करके लोगों को योजना में होने वाली प्रगति से अवगत कराया जा सकता है। इस प्रकार की बैठकों का आयोजन नियमित रूप से या आवश्यकता पड़ने पर भी किया जा सकता है।

प्रशिक्षण के बाद बनी सीख को जानने के लिये प्रपत्र

नाम ..... दिनांक ....

पद नाम ..... ब्लॉक ..... जिला .....

कृप्या निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं।

1. जिला योजना समिति के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस संशोधन के माध्यम से किया गया?
   (अ) 70वें संविधान संशोधन के द्वारा
   (ब) 72वें संविधान संशोधन के द्वारा
   (स) 74वें संविधान संशोधन के द्वारा
   (द) 76वें संविधान संशोधन के द्वारा

2. जिला योजना समिति के गठन के बारे में संविधान की किस धारा में विस्तृत चर्चा की गयी है?
   (अ) धारा 243 छ
   (ब) धारा 243 ब
   (स) धारा 243 य घ
   (द) धारा 243 य ग

3. मानव विकास के प्रमुख घटक हैं
   (अ) प्रति व्यक्ति आय,
   (ब) प्राथमिक शिक्षा का स्तर,
   (स) लोगों के औसत जीवन जीने की उम्मीद,
   (द) उपरोक्त सभी

4. सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों में शामिल नहीं है–
   (अ) विकास के दौरान पर्यावरण संतुलन को बनाये रखना,
   (ब) लैंगिक समानता और महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देना,
   (स) एच.आई0वी0/एड्स, मलेरिया जैसी बिमारियों से लड़ना,
   (द) शराब और तम्बाकू के उपयोग को बढ़ावा देना,

5. निम्नलिखत संसाधनों में से कौन सा संसाधन हमारे विकास के लिये महत्वपूर्ण है–

(अ) मानव संसाधन,

(ब) प्राकृतिक संसाधन,

(स) तकनीकी संसाधन,

(द) वित्तीय संसाधन,

6. वर्तमान समय में सरकार के द्वारा किस प्रकार की आयोजना को महत्व दिया जा रहा है?

(अ) नीचे से ऊपर (बॉटम– अप) की ओर योजना बनाने की पद्धति,

(ब) ऊपर से नीचे (टॉप – डाउन) की ओर योजना बनाने की पद्धति,

(स) सभी प्रदेशों के लिये एक समान योजना बनाने की पद्धति,

(द) केवल कुछ लोगो के लिये योजना बनाने की पद्धति,

7. स्वॉट विश्लेषण के दौरान मुख्य रूप से चर्चा होती है–

(अ) स्थानीय स्तर पर उपलब्ध मजबूती वाले क्षेत्रों पर,

(ब) स्थानीय स्तर की कमजोरियों पर,

(स) स्थानीय क्षेत्र के विकास के दौरान आने वाले संभावित खतरों पर,

(द) उपरोक्त सभी

8. सामाजिक समावेशन की प्रक्रिया

(अ) समाज के कुछ लोगों को आगे बढ़ाती है,

(ब) समाज के पिछड़े और वंचित लोगों की क्षमताओं को बढ़ाने की प्रक्रिया है,

(स) केवल कुछ लोगों के द्वारा किया जाने वाला एक कार्य है,

(द) जनप्रतिनिधियों को आपस में जोड़ने वाला एक काम है,

9. किसी बैठक के सफल आयोजन के लिये जरूरी है –

(अ) सभी लोगों के बैठने की व्यवस्था एक जैसी हो,

(ब) चर्चा के दौरान लोग एक दूसरे को देख व सुन सकें,

(स) बैठक के स्थान पर रोशनी, पानी और शौचालय की व्यवस्था हो,

(द) बैठक के स्थान तक सभी का पहुॅचना आसान हो,

10. किसी योजना का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाना चाहिये –

(अ) योजना बनाने में किन लोगों ने हिस्सेदारी की,

(ब) जिन लोगों के लिये योजना बनी थी उनको योजना का लाभ मिला या नहीं,

(स) योजना का लाभ मिलने से लाभार्थियों के जीवन स्तर में परिवर्तन आया कि नहीं,

(द) उपरोक्त सभी,

संलग्नक–1

11वीं अनुसूची के विषय (73वें संविधान संशोधन के बाद से जोड़ा गया)

1. कृषि, कृषि विस्तार सहित
2. भूमि उन्नयन, भूमि सुधारों को लागू करना, चक बंदी और भू संरक्षण
3. लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और जलग्रहण क्षेत्र विकास
4. पशु पालन, दुग्ध व्यवसाय और मुर्गी पालन
5. मत्स्य पालन
6. सामाजिक वानिकी और भू वानिकी
7. लघु वनोत्पाद
8. छोटे उद्योग, जिसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी शामिल हैं
9. खादी, ग्रामीण और कुटीर उद्योग
10. ग्रामीण आवास
11. पेय जल
12. ईंधन और चारा
13. सड़क, बांध, पुलिया, नाव, जल मार्ग तथा संचार के अन्य साधन
14. ग्रामीण विद्युतीकरण, जिसमें विद्युत वितरण भी शामिल है
15. गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत
16. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम
17. शिक्षा, जिसमें प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा भी शामिल है
18. तकनीकी प्रशिक्षण और रोजगार परक शिक्षा
19. प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा
20. पुस्तकालय
21. सांस्कृतिक गतिविधियॉ
22. बाजार और मेले
23. स्वास्थ्य और स्वच्छता, जिसमें चिकित्सालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और औषधालय शामिल हैं
24. परिवार कल्याण
25. महिला एवं बाल विकास
26. समाज कल्याण, जिसमें शारीरिक और मानसिक विकलांगों का कल्याण भी शामिल है
27. समाज के कमजोर वर्ग के लोगों का कल्याण, विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का
28. नागरिक आपूर्ति व्यवस्था
29. सामुदायिक परिसम्पत्तियों का रख रखाव

12वीं अनुसूची के विषय (74वें संविधान संशोधन के बाद से जोड़ा गया)

1. शहरी आयोजना जिसमें नगर की आयोजना भी षामिल है।
2. भू उपयोग का नियमितीकरण और भवनों का निर्माण।
3. आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिये आयोजना।
4. सड़क और पुल
5. घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक कामों के लिये पानी की उपलब्धता
6. जन स्वास्थ्य, स्वच्छता सुनिश्चित करना और ठोस कचरे का प्रबन्धन।
7. अग्नि शमन सेवायें।
8. शहर वानिकी, वातावरण को सुरक्षित बनाना और पर्यावरण संतुलन को बढ़ावा देना।
9. समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के हितों की रक्षा करना, इसमें षारीरिक और मानसिक विकलांग भी शामिल हैं।
10. झुग्गी–झोपड़ियो का सुधार और उन्नयन।
11. शहरी गरीबी का उन्मूलन।
12. शहरी लोगों को उद्यानों, बगीचों और खेल के मैदानों की सुविधा उपलब्ध कराना।
13. सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौन्दर्य को बढ़ाना।
14. कब्र और कब्रगाह, श्मशान और श्मशान स्थल, तथा विद्युत शवदाह।
15. जानवरों के तालाब, पशु क्रूरता को रोकना।
16. जन्म और मृत्यु और ऐसे ही अन्य महत्वपूर्ण ऑकड़ों को इकठ्ठा करना।
17. गलियों में रोशनी, पार्किंग स्थल, बस स्टॉप और जन सुविधाओं को सुनिष्चित करना।
18. पशु वधशालाओं और चमड़े के कारखानों का नियंत्रण।

संदर्भः

- भारत का संविधान, विधि और कानून मंत्रालय, भारत सरकार।
- समेकित जिला नियोजन मैनुअल, योजना आयोग, भारत सरकार, 2008।
- वार्षिक प्रतिवेदन, प्रिया – राजस्थान, 2006।
- वार्षिक प्रतिवेदन, प्रिया नई दिल्ली 2009–10।
- http://www.undp.org/mdg/basics.shtml
- http://en.wikipedia.org/wiki/Millennium_Development_Goals
- en.wikipedia.org/wiki/MDGS